

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 11, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति जिया गुलाबवानी, उम्र 40 वर्ष, पत्नि श्री पवन गुलाबवानी, निवासी— म.नं. 943, फ्लैट नं. 2, दत्त इन्वलेव, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) शपथपूर्वक मैं, घोषणा करती हूँ कि मेरा विवाह श्री पवन गुलाबवानी के साथ सम्पन्न हुआ है। यह कि विवाह के पूर्व मेरा नाम कुं लक्ष्मी कटारिया आत्मज श्री अर्जुन कुमार कटारिया, निवासी— राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.) था। यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों / अंकसूची में मेरा नाम कुं लक्ष्मी कटारिया दर्ज है। यह कि विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमति जिया गुलाबवानी पत्नि श्री पवन गुलाबवानी हो गया है एवं अब मैं, इसी नाम से जानी जाती हूँ। यह कि उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं यानि एक महिला के हैं। अतः मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाये एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(कुं लक्ष्मी कटारिया)
(LAXMI KATARIYA)

नया नाम
(जिया गुलाबवानी)
(JIYA GULABWANI)

(G-2071)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रीती कपूर पत्नी श्री मनजिंदर कपूर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अद्वशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बोटर आई.डी. कार्ड, इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती प्रीती कपूर अंकित है एवं मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम श्रीमती प्रीती सिंह दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम श्रीमती प्रीती सिंह के स्थान पर श्रीमती प्रीती कपूर नाम पढ़ा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम
(प्रीती सिंह)

(G-2072)

नया नाम
(प्रीती कपूर)
निवासी— मकान नंबर—19, रिज मार्ग,
ईदगाह हिल्स, तहसील—हुजूर,
जिला—भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, मनजिंदर कपूर आत्मज श्री हरभजन सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, इत्यादि में मेरा नाम मनजिंदर कपूर अंकित है एवं मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम मनजिंदर पाल सिंह दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम मनजिंदर पाल सिंह के स्थान पर मनजिंदर कपूर नाम पढ़ा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम

(मनजिंदर पाल सिंह)

(G-2073)

नया नाम

(मनजिंदर कपूर)

निवासी— मकान नंबर—19, रिज मार्ग,

ईदगाह हिल्स, तहसील—हुजूर,

जिला—भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, जतिंदर कपूर आत्मज श्री हरभजन सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, इत्यादि में मेरा नाम जतिंदर कपूर अंकित है एवं मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम जतिंदर पाल सिंह दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम जतिंदर पाल सिंह के स्थान पर जतिंदर कपूर नाम पढ़ा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम

(जतिंदर पाल सिंह)

(G-2074)

नया नाम

(जतिंदर कपूर)

निवासी— मकान नंबर—19, रिज मार्ग,

ईदगाह हिल्स, तहसील—हुजूर,

जिला—भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुमन लता कपूर पत्नी श्री जतिंदर कपूर, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती सुमन लता कपूर अंकित है एवं मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम श्रीमती सुमन सिंह दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे सभी शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम श्रीमती सुमन सिंह के स्थान पर श्रीमती सुमन लता कपूर नाम पढ़ा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम

(सुमन सिंह)

(G-2075)

नया नाम

(सुमन लता कपूर)

निवासी— मकान नंबर—19, रिज मार्ग,

ईदगाह हिल्स, तहसील—हुजूर,

जिला—भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, NOORIN KHAN सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम NOORIN W/o MOHAMMED REHAN KHAN था, जिसे बदलकर अब NOORIN KHAN कर दिया गया है। मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम

(NOORIN)

W/o MOHAMMED REHAN KHAN

नया नाम

(NOORIN KHAN)

W/o MOHAMMED REHAN KHAN,
पता :— H.No. 19, A-SECTOR, HAZRAT
NIZAMUDDIN COLONY, BHOPAL.

(G-2076)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति प्रगति दुबे पति श्री संदीप दुबे (अधिवक्ता) उच्च न्यायालय, निवासी— 65, शिव नगर, गढ़ा, रेलवे क्रासिंग, जिला—जबलपुर (म.प्र.) में निवासरत हूँ। मेरा विवाह पूर्व नाम वर्षा नायक पुत्री रख. श्री सूर्यकांत नायक था तथा मेरे संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेजों और अंकसूचियों में यही नाम दर्ज है। मेरा विवाह श्री संदीप दुबे पिता श्री आर.के. दुबे के साथ में स्थान जबलपुर में संपन्न हुआ था। विवाह के बाद अब मेरा नाम श्रीमति प्रगति दुबे पति श्री संदीप दुबे हो गया है और अब मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाता है। अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में यही लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम

(वर्षा नायक)

नया नाम

(प्रगति दुबे)

(G-2077)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स फ्लेम एन फ्लेम भारत गैस डीलर, पता— 61, जवाहर मार्ग, इंदौर (म.प्र.) पार्टनरशिप फर्म होकर इसके पार्टनर श्री मुकेश गर्ग, जोतिन आगर व श्रीमती त्रिवेणी गर्ग हैं। उक्त फर्म के पार्टनर श्री जोतिन आगर फर्म की भागीदारी से रिक्त हो गए हैं। अतः उक्त भागीदार फर्म में पहले से ही दो पार्टनर श्री मुकेश गर्ग व श्रीमती त्रिवेणी गर्ग को ही निरंतर भागीदार रहना प्रस्तावित किया गया है, जिसके संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि की किसे भी प्रकार की आपत्ति उजर आदि हो, तो इस जाहिर सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की समयावधि में लिखित में मय दस्तावेजों के संपर्क करें। अन्यथा बाद मियाद अवधि उक्त प्रस्तावित श्री मुकेश गर्ग व श्रीमती त्रिवेणी गर्ग को मैसर्स फ्लेम एन फ्लेम भारत गैस डीलर का भागीदार निरंतर किया जावेगा। तत्पश्चात् कोई आपत्ति या उजर मान्य नहीं किया जावेगा। सो विदित होवे।

मुकेश गर्ग,

त्रिवेणी गर्ग,

61, जवाहर मार्ग, इंदौर (म.प्र.).

(G-2078)

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के तहत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री राम डेल्पर्स, पता— 22/3, साउथ तुकोगंज, स्ट्रीट नं. 1, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म में श्रीमति पूर्णिमा डोसी पति श्री शरद डोसी दिनांक 24-08-2022 को नये साझेदार के रूप में समिलित हुए हैं एवं श्री निलेश जैन पिता श्री दिनेश जैन ने दिनांक 24-08-2022 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त करली है एवं फर्म में शेष साझेदार श्रीमति ओशिन जैन एवं पूर्णिमा डोसी हैं। एतदनुसार सूचित होते हैं।

मेसर्स श्री राम डेल्पर्स,
पूर्णिमा डोसी,
भागीदार।

(G-2079)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Ms BHAGWATI INFRATECH जो 302, बंजरग प्लाजा, तुलसी बिहार, सिटी सेंटर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0318-21, दिनांक 17-02-2021 है, जिसमें दिनांक 01-08-2022 को भागीदार श्रीमती दीप्ति मौर्य पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी— तिकोनिया पार्क, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई है एवं इसी दिनांक 01-08-2022 को श्री दीवान सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी— हरिराम का पुरा, ग्राम मालनपुर, जिला भिण्ड फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गये। आमजन एवं सर्वजन सूचित होते हैं।

फर्म Ms BHAGWATI INFRATECH,
चेतन प्रकाश गुप्ता,
भागीदार।

302, बंजरग प्लाजा, तुलसी बिहार, सिटी सेंटर,
गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-2080)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Ms त्रिलोक इन्फ्रास्ट्रक्चर भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0469 है, जो wa-21, स्किम 94, इंदौर में स्थित है, जिसमें दिनांक 20-06-2022 को भागीदार श्री अपूर्व जयसवाल पुत्र श्री योगेन्द्र जयसवाल, निवासी— 101-102, बसंत विहार, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) अपनी इच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 20-06-2022 को श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव W/o श्री रविशंकर श्रीवास्तव, नि.— 15, आर्शीवाद विला, निपनिया, इंदौर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो रही है। आमजन एवं सर्वजन सूचित होते हैं।

Ms त्रिलोक इन्फ्रास्ट्रक्चर,
रोहित श्रीवास्तव,
भागीदार।

पता— wa-21, स्किम 94, इंदौर

(G-2081)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय श्री पीठा बाबा ग्रेनाइट, पता— खसरा नं. 169/1/1/2 एवं 169/1/1/7, मौजा इंटवा, पठा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) है, जिसका पंजीयन क्रमांक 06-12-04-0134-19, सन् 2018-19, दिनांक 09-01-2019 है. दिनांक 06-10-2022 से ही भागीदार 1. श्री राजेश कुमार शिवहरे, 2. श्री धर्मन्द्र कुमार राय, 3. श्री शील चन्द्र राय फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं 06-10-2022 से नए भागीदार के रूप में श्री मनोज कुमार जैन को समिलित किया जा रहा है. अतः यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, तो अपना दावा कृपया 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें. इस अंतराल के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

मेसर्स जय श्री पीठा बाबा ग्रेनाइट,
मनोज कुमार जैन,
पता— खसरा नं. 169/1/1/2 एवं 169/1/1/7,
मौजा इंटवा, पठा, तहसील लवकुशनगर,
जिला छतरपुर (म.प्र.)

(G-2082)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म शिवांश डेक्लपर जो तिली, राजघाट रोड, डायमंड पेट्रोल पंप के सामने, सागर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 06-09-01-00090-11, दिनांक 17-10-2011 है, जिसमें दिनांक 07-06-2022 को भागीदार श्री विनोद ओसवाल पिता श्री रतन चंद ओसवाल स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं, चूंकि फर्म में वर्तमान में कुल 2 भागीदार— श्री कमलेश बघेल पिता श्री राघवेंद्र सिंह बघेल तथा श्रीमति प्रतीभा बघेल पति श्री कमलेश बघेल हैं. यह भागीदार फर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म मेसर्स शिवांश डेक्लपर,
कमलेश बघेल,
भागीदार,
तिली, राजघाट रोड, डायमंड पेट्रोल पंप
के सामने, सागर.

(G-2083)

नाम परिवर्तन

मैं, सलीम भारती पुत्र मियाँ खान, निवासी— वार्ड नं. 04, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) व्यवसाय प्रायवेट ठेकेदारी, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का होकर शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सलीम खान पुत्र मियाँ खान था, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा सही नाम सलीम भारती पुत्र मियाँ खान है. यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. मुझे मेरे सही नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(सलीम खान)

(सलीम भारती)
पुत्र मियाँ खान.

(G-2084)

जाहिर सूचना

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम “अनीता केशवानी पिता छत्ताराम केशवानी” था. तथा मेरा यही नाम विवाह पूर्व के समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज/अंकित है. मेरा विवाह श्री संजय सचदेव के साथ सम्पन्न होने उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर मेरा नाम “श्रीमती अनीता सचदेव पति संजय सचदेव” हो गया है व विवाह उपरांत से मैं, अपने इसी नाम से सम्बोधित व पहचानी जाती हूँ व भविष्य में भी मैं अपने इसी नाम से जानी जाऊंगी. उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं.

अनीता सचदेव पति संजय सचदेव,
पता— आनन्द बाजार के पीछे, 401, मंगलम रिडिंग
अपार्टमेंट, 36-37, वैकुण्ठ धाम कॉलोनी,
इंदौर (म.प्र.)

(G-2085)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी बंसल पत्नी श्री गिराज बंसल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम गायत्री बंसल था, जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 203783215 में लिखा गया है, जबकि वर्तमान में मेरा नाम पिंकी बंसल है, जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में लिखा हुआ है और वर्तमान एवं भविष्य में भी मैं, पिंकी बंसल पत्नी श्री गिराज बंसल के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. पिंकी बंसल एवं गायत्री बंसल दोनों मेरी ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203783215 में मेरा नाम गायत्री बंसल के स्थान पर पिंकी बंसल लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(गायत्री बंसल)

नया नाम

(पिंकी बंसल)

पत्नी श्री गिराज बंसल,

पता— श्री बल्लभ पेंट हाऊस, पाटनकर बाजार,
लश्कर, ग्वालियर.

(G-2086)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विवेक राठी पिता रमेशचंद्र राठी (VIVEK RATHI S/o RAMESHCHANDRA RATHI) था, जो मैंने अब बदलकर विवेक कुमार बड़जात्या कर लिया है, जो कि मेरे आधार व पैन कार्ड पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम विवेक राठी पिता रमेशचंद्र राठी एवं विवेक कुमार बड़जात्या पिता रमेशचंद्र राठी एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम विवेक कुमार बड़जात्या पिता रमेशचंद्र राठी (VIVEK BADJATYA S/o RAMESHCHANDRA RATHI) से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये. सो विदित हो.

पुराना नाम

(विवेक राठी)

नया नाम

(विवेक कुमार बड़जात्या)

निवासी— बाकानेर, जिला धार.

(G-2087)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह के पूर्व रेणूका कस्तूरे था। मेरा विवाह श्री इरफान खान के साथ हुआ है। विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती जारा इरफान पत्नि श्री इरफान खान, आयु वयस्क, निवासी— म.नं. 154, दीवान बाग, तहसील चौराहा, सीहोर (म.प्र.) हो गया है। अतः अब मुझे श्रीमती जारा इरफान पत्नि श्री इरफान खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम
(रेणूका कस्तूरे)
पुत्री श्री अजय कस्तूरे,
निवासी— म.नं. 12, सिटी पोस्ट आफिस के पास,
सीहोर (म.प्र.)
(G-2088)

नया नाम
(जारा इरफान)
पत्नि श्री इरफान खान,
निवासी— म.नं. 154, दीवान बाग,
तहसील चौराहा, सीहोर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. अयान खान (MOHD. AYAN KHAN) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शैक्षणिक अंकसूचियों/प्रपत्रों में पिता का नाम मो. हबीब खान (MOHD. HABIB KHAN) एवं माता का नाम निकहत हबीब (NIKHAT HABIB) लिखा गया है, जो गलत है। मेरे पिता का सही नाम मो. हबीब (MOHD. HABIB) एवं माता का सही नाम निकहत कुरैशी (NIKHAT QURESHI) है, जो सत्य व सही है। वह इसी नाम से जाने, पहचाने और पुकारे जाते हैं, जो अंकसूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं परिचय-पत्र में भी लिखा है और भविष्य में भी इस नाम से ही जाने, पहचाने और पुकारे जावेंगे।

अतः मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों/प्रपत्रों में पिता का गलत नाम मो. हबीब खान (MOHD. HABIB KHAN) एवं माता का नाम गलत निकहत हबीब (NIKHAT HABIB) के स्थान पर सही नाम मो. हबीब (MOHD. HABIB) एवं निकहत कुरैशी (NIKHAT QURESHI) लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(मो. हबीब खान)
(MOHD. HABIB KHAN)
(निकहत हबीब)
(NIKHAT HABIB)

नया नाम
(मो. हबीब)
(MOHD. HABIB)
(निकहत कुरैशी)
(NIKHAT QURESHI)
पता— एफ-02, लेक विंड अपार्टमेंट, फतेहगढ़ भोपाल (म.प्र.).

(G-2089)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभाष चंद्र पुत्र श्री रमेश चंद्र, निवासी— आरबी टू 202/C रेल्वे कॉलोनी, हबीबगंज भोपाल, मेरे रेल्वे सेवा रिकार्ड में मेरा नाम सुभाष चंद्र लिखा है, लेकिन वास्तव में मेरा नाम सुभाष चंद्र तिवारी है और इसी नाम से मेरा आधार, पैन, वोटर आई.डी., अंकसूची, इत्यादि जारी है।

अतः मैं, अपना नाम सुभाष चंद्र के स्थान पर सुभाष चंद्र तिवारी, उप्र लगभग 58 साल दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा नाम जहाँ कहीं भी सुभाष चंद्र पुत्र श्री रमेश चंद्र दर्ज हो, उसके स्थान पर सुभाष चंद्र तिवारी पुत्र श्री रमेश चंद्र तिवारी पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(सुभाष चंद्र)
पिता श्री रमेश चंद्र,

नया नाम
(सुभाष चंद्र तिवारी)
पिता— श्री रमेश चंद्र तिवारी,
पता :— रेल्वे आवास क्र. RBII 202/C,
रेल्वे कॉलोनी, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.).

(G-2090)

नाम परिवर्तन

मैं, श्याम सुंदर सराठे, पिता स्व. श्री छोटेलाल सराठे, पता— म.नं. 315 / 42, शिवनगर रेल्वे क्रॉसिंग, गढ़ा, जबलपुर एतद् शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:—

यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा अधूरा नाम श्याम सुंदर दर्ज है। अतः मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्ण नाम “श्याम सुंदर सराठे” दर्ज किया जावे।

यह कि, मुझे मेरे पूरे नाम “श्याम सुंदर सराठे” दुरुस्त किये जाने एवं रिकार्ड में दर्ज किये जाने बावत् उक्त शपथ—पत्र प्रस्तुत है। वर्तमान में ट्रेन मैनेजर के पद पर जबलपुर स्टेशन डब्ल्यू.सी.आर. में कार्यरत हैं।

पुराना नाम
(श्याम सुंदर)
(G-2091)

नया नाम
(श्याम सुंदर सराठे)
पता— म.नं. 315 / 42, शिवनगर रेल्वे क्रॉसिंग,
गढ़ा, मदनमहल, जबलपुर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे विधि गर्ग गुड़िया के नाम से जाना जाता है। मेरे उपरोक्त दोनों नाम विधि गर्ग और गुड़िया सही होकर मेरे ही हैं। मुझ शपथकर्ता विधि गर्ग उर्फ गुड़िया पुत्री श्री रीतेश गर्ग, निवासी— प्रगति बाजार, हलवाई खाना, शिवपुरी, जिला शिवपुरी के जन्म प्रमाण, शासकीय कागजात, पैन बुक, आधार कार्ड आदि में मेरा नाम विधि गर्ग अंकित है। शासकीय कागजातों में मेरी माता का नाम श्रीमति कविता गर्ग एवं पिता का नाम रीतेश गर्ग है, जो कि सही है। घर में मुझे गुड़िया के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है कि विधि गर्ग उर्फ गुड़िया दोनों नाम मेरे ही हैं और सही हैं। यह कि मुझे विधि गर्ग (गुड़िया) से अब विधि गर्ग के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम
(विधि गर्ग) (गुड़िया)
(G-2092)

नया नाम
(विधि गर्ग)
पता— प्रगति बाजार, हलवाई खाना,
शिवपुरी (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह के पूर्व सिंधुबाई पुत्री स्व. श्री रामराव गोविंदराव देशमुख, निवासी— देशमुखपुरा, बड़ी मस्जिद के पास, वर्लड, तह. वर्लण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र के नाम से जानी व पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है। मेरा नाम विवाह के पश्चात् श्रीमती चन्द्रकांता लोखंडे पत्नी स्व. श्री एस.के. लोखंडे के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ एवं विवाह उपरांत से सदैव सभी अभिलेखों, प्रलेखों तथा कागजातों में अपना नाम श्रीमती चन्द्रकांता लोखंडे पत्नी स्व. श्री एस.के. लोखंडे का प्रयोग करती हूँ एवं लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(सिंधुबाई)
पुत्री स्व. श्री रामराव गोविंदराव देशमुख,
(G-2093)

नया नाम
(चन्द्रकांता लोखंडे)
पत्नी स्व. श्री एस.के. लोखंडे

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र तन्मय पुरी (TANMAY PURI) का नाम बदलकर ईवान पुरी (EVAAN PURI) रख लिया है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र को ईवान पुरी (EVAAN PURI) के नाम से जाना—पहचाना जावे। सो विदित होवे।

(G-2094)

(अनमोल पूरी)
201, यूनिक अपार्टमेंट श्रीनगर एक्स.,
इन्दौर (म.प्र.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन मध्यप्रदेश

क्र. 15069-TDS-03-UJN-2022-36

उज्जैन, दिनांक 21 नवम्बर 2022.

प्ररूप सत्रह

{नियम 19(4) देखिए}

[धारा 50 की उप-धारा(2) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि उज्जैन विकास, उज्जैन नगर विकास योजना क्रमांक TDS-03/2022 अर्थात् ग्राम निमनवासा, लालपुर, नागझिरी एवं ग्राम धतरावदा क्षेत्र में योजना बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.11.2022 को अनुमोदित किया गया है। स्कीम में समिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :—

ग्राम निमनवासा तहसील कोठी महल जिला उज्जैन				
क्र.	मूँ स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेअर में	योजना में समिलित क्षेत्रफल
1	कुरवान वेघ पिता अब्बन वेघ	Z 2 (205/2/1,)	0.435	0.435
2	othj cs?k firk vCcu cs?k	Z 2 (205/2/2,)	0.821	0.821
3	अफजल वेघ पिता अब्बन वेघ	Z 2 (205/2/3)	0.656	0.656
4	लक्ष्मीबाई संजय राजेश लक्ष्मणजी रामेश्वर पिता लक्ष्मणजी	218/4/मिन-1	3.240	3.240
5	अवधेश पिता रघुनंदन प्रसाद शमो	218/4/मिन-2	0.836	0.836
6	इस्माइल यूनूस अली मोहम्मद कुबरा बाई नूरमोहम्मद इकबाल लियाकत शाकीर नूर मोहम्मद याकूब हसन पिता अफसर	220/2	0.094	0.094
7	मराज नंदकिशोर राधाकिसन हरिराम पिता फूलकुंव संतोष	222/3/1	0.125	0.125
8	हेमराज नंदकिशोर राधाकिसन हरिराम पिता फूलकुंव संतोष	223/1/1	1.076	1.076
9	इस्माइल यूनूस अलीमोहम्मद कुबरा बाई नूरमोहम्मद इकबाल लियाकत शाकीर नूरमोहम्मद याकूब हसन पिता अफसर	223/3/2	0.366	0.366
10	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	239/1/1/1	2.508	2.508
11	याकूब पिता हसनखाँ	239/1/1/2	0.356	0.356
12	गनी पिता नूरमोहम्मद	239/1/2	1.463	1.463
13	बराबाईलिया कतशाकीर अफसर इकबाल पिता नूरमोहम्मद	239/2/1	0.139	0.139
14	याकूब पिता हसनखाँ	239/2/2	3.132	3.132
15	कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर इकबाल पिता नूरमोहम्मद	239/3/1	1.889	1.889

16	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	239/3/2	0.985	0.985
17	याकूब पिता हसनखाँ	241/1/1	0.606	
18	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/1/2	0.606	
19	कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर ईकबाल पिता नूरमोहम्मद	241/1/3	0.606	
20	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/2/1	0.357	
21	कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर ईकबाल पिता नूरमोहम्मद	241/2/2	0.357	
22	याकूब पिता हसनखाँ	241/2/3	0.566	1.500
23	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/2/4	0.209	
24	कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर ईकबाल पिता नूरमोहम्मद	241/2/5	0.249	
25	याकूब पिता हसनखाँ	241/2/6	0.04	
26	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद बटान उपलब्ध नहीं कुल खसरा 241 में से भूमि का विवरण	241/2/7	0.04	
			3.636	
			कुल भूमि	19.621
1	(शासकीय) - नगरीय भूमि	218/1/1, 218/3/1	1.986	1.986
2	(शासकीय) - नगरीय भूमि	218/1/2, 218/3/2	4.485	4.485
3	(शासकीय) - नगरीय भूमि	218/2	1.045	1.045
4	(शासकीय) - निस्तार - बंजर	219/1	0.585	0.585
5	(शासकीय) - नगरीय भूमि	219/2, 220/1, 221/1, 222/1	0.930	0.930
6	(शासकीय) - परिवर्तित भूमि 219/2	220/1	0.365	0.365
7	(शासकीय) - नगरीय भूमि	220/3, 222/4, 226/1	0.700	0.700
8	(शासकीय) - निस्तार	221/3	0.115	0.115
9	(शासकीय) - परिवर्तित भूमि 219/2	222/1	0.241	0.241
10	(शासकीय) - निस्तार	222/2	2.529	2.529
11	(शासकीय) - नगरीय भूमि	222/3/2	0.136	0.136
12	(शासकीय) - परिवर्तित भूमि 220/3	222/4	0.178	0.178
13	(शासकीय) - नगरीय भूमि	223/1/2	1.296	1.296
14	(शासकीय) - निस्तार	223/2	0.052	0.052
15	(शासकीय) - नगरीय भूमि	226/2, 229/2	0.480	0.480
16	(शासकीय) - निस्तार	240	0.230	0.230
17	(शासकीय) - चरनोई	220/3	0.261	0.261
		TOTAL	15.614	
		G. TOTAL	35.235	
ग्राम लालपुर तहसील कोठी महल जिला उज्जैन				
1	सुनिता पति आनंद पण्ड्या पता आजाद	2/1/1	0.446	0.446
2	सुनिता पति आनंद पण्ड्या जोन्स डिजाइन प्रा. ली. द्वारा डाइरेक्टर रामशरण जिन्दल पत्नी वाय आर. जिंदल प्रेमलता पति सुरेश	2/1/2.	0.223	0.223

3	स्वपनेशवर्मा पिता सुरेश वर्मा	2/2/3.	0.523	1. ⁷ 0.523
4	स्वपनेशवर्मा पिता सुरेश वर्मा	3/1.	2.236	2.236
5	सुहासिनी प्रभाकर राव प्रभाकर राव गोपालराव पिता नारायण राव	3/2.	0.749	0.749
6	जुगलकिशोर पिता रमेश्वर	4.	0.585	0.585
7	दुर्गाबाई पत्नी स्व रामचंद्र रमेश उर्फ चौथमल राजेश पुत्रगण शोभाराम	6/2.	0.186	0.186
8	मनीष पिता शंकरलाल लखानी	7/1.	1.264	1.264
9	बरखा पति परमानंद चावला	7/2.	0.632	0.632
10	चन्दा पति नानकराम फूलवानी	7/3.	1.265	1.265
11	सीमा उर्फ बबीता पिता ब्रजेश	7/4.	0.633	0.633
12	जॉस डिजाईन प्रा लि दिल्ली श्रीरामशरण पिता वाय. आर. जिंदल	8/1.	3.737	3.737
13	समीरशाह, अमीरशाह पिता सलीमशाह जमीरशाह पिता वाहिदशाह	8/2.	3.736	3.736
14	जॉस डिजाईन प्रा लि दिल्ली श्रीरामशरण पिता वाय. आर. जिंदल	9/1.	1.541	1.541
15	जॉस डिजाईन प्रा लि दिल्ली श्रीरामशरण पिता वाय. आर. जिंदल	9/2.	0.194	0.194
16	भारत सिंह बने सिंह पिता राजेन्द्रसिंह पिता किशोरसिंह	10/1.	0.125	0.125
17	रतनसिंह पिता किशोरसिंह	10/2.	0.493	0.493
18	भारतसिंह पिता किशोर सिंह	10/3.	0.154	0.154
19	बनेसिंह पिता किशोरसिंह	10/4.	0.154	0.154
20	राजेन्द्रसिंह पिता किशोरसिंह	10/5.	0.206	0.206
21	रूपलकुवर पिता राजेन्द्रसिंह	10/6.	0.205	0.205
22	प्रशातसिंह पिता राजेन्द्रसिंह	10/7.	0.205	0.205
23	नेहाकुंवर पिता बनेसिंह	10/8.	0.154	0.154
24	जितेन्द्रसिंह पिता बनेसिंह	10/9.	0.154	0.154
25	महेन्द्रसिंह पिता बनेसिंह	10/10.	0.154	0.154
26	रेणुकुंवर पिता भारतसिंह	10/11.	0.154	0.154
27	अजयपालसिंह पिता भारतसिंह	10/12.	0.154	0.154
28	हरपालसिंह पिता भारतसिंह	10/13.	0.154	0.154
29	जोस डिस्ट्रीब्यूटर प्रालि व्दारा रामशरणपिता वाय आर जिंदल	12/1/1.	5.235	5.235
30	जोस डिस्ट्रीब्यूटर प्रालि व्दारा रामशरणपिता वाय आर जिंदल	12/1/2.	4.726	4.726
31	राजूबाई पति राजेन्द्रसिंह	12/2.	0.200	0.200
32	जोसडिस्ट्रीब्यूटर प्रा. लि.	33/1	0.087	0.087

33	जोसडिस्ट्री ब्यूटर प्रा. लि.	33/2	0.122	0.122
			योग	30.786
1	(शासकीय) - का. का.	1	2.498	2.498
2	(शासकीय) - नगरीय भूमि	2/2/1.	0.669	0.669
3	(शासकीय) - नगरीय भूमि	2/2/2.	0.145	0.145
4	(शासकीय) - नगरीय भूमि	3/3.	0.757	0.757
5	(शासकीय) - नगरीय भूमि	5.	0.711	0.711
6	(शासकीय) - नगर भूमि सिमा	6/1.	0.755	0.755
7	(शासकीय) - घरागाह निस्तार	11.	0.742	0.742
8	(शासकीय) - नगर भूमि सिमा, कुआ	12/3.	7.000	7.000
9	(शासकीय) - नगर भूमि सिमा	12/4.	8.978	8.978
10	(शासकीय) - खदान मुरम	31	2.801	1.681
11	(शासकीय) - रास्ता	32	0.167	0.167
			योग	24.103
			महायोग	54.889

ग्राम धरतरावदा तहसील कोठी महल जिला उज्जैन

1	फारुक एहसान पिता अकबरसुग्सु राबाई वि. अकबर	118/1/1	0.993	0.115
2	युसूफ अली पिता नवीबक्ष	119/1/1/1	0.262	0.262
3	लक्ष्मीकाँता कुमरावत पति हेमंत कुमरावत, हेमंत कुमरावत पिता कमल किशोर कुमरावत	119/1/1/2	0.104	0.104
4	मुकुल कुमार पिता सुरेश कुमार आशिका पति मुकुलकुमार	119/1/2/1	0.124	0.124
5	मुकुल कुमार पिता सुरेश कुमार आशिका पति मुकुलकुमार	119/1/2/2	0.033	0.033
6	हेमंतकुमरावत पिता कमलकिशोर लक्ष्मीकाँता पति हेमंतकुमार	119/1/3/1	0.207	0.207
7	हेमंतकुमरावत पिता कमलकिशोर लक्ष्मीकाँता पति हेमंतकुमार	119/1/3/2	0.054	0.054
8	नबीबक्ष पिता नूरनमोहम्मद	119/2	0.784	0.784
9	बालकृष्ण पण्डिया पिता रतनलाल	120/1	0.606	0.606
10	फारुक एहसान पिता अकबर सुगराबाई वि.अकबर	122	0.679	0.679
11	फारुक एहसान पिता अकबर सुगराबाई वि.अकबर	123/1	0.314	0.314
12	फिरोज पिता सरदार, फारुक पिता सरदार, सागर बाई बेवा सरदार	129/1	0.209	0.209
13	शाहरुख पिताशरीफ	123/2	0.449	0.449
14	जोस डिजाइन परायवेट लिमिटेड	123/3	0.418	0.418
15	करामात पिता नगज	123/4/2	0.191	0.191
16	आई. बी. आई. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चरप्राल	124/2	0.408	0.408

17	आई बी आई ए. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली. विजय नन्द किशोर गौतम	124/4/1	0.084	0.084
18	आई बी आई ए. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली. विजय नन्द किशोर गौतम	124/4/2	0.418	0.418
19	आई बी आई ए. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली. विजय नन्द किशोर गौतम	124/4/3	0.209	0.209
20	गनी इसक पिता बांसर दत्तक , इमामदीन आशिफ पिता शरीफ माता मेरहावबाई शरीफ	124/5/1	0.178	0.178
21	जॉस डिजाईन परायवेटलिमिटेड	124/6	0.094	0.094
22	फिदा हुसैन अनवर हुसैन रमजु पिता जाकिर हुसैन	124/8/2	0.2	0.200
23	रेहमतबाई बेवा अलीमोहम्मद	124/9/2/1	0.47	0.470
24	यूनुस फारूक फिरोज मलकाबी पिता यासिन कमलाबी	124/9/2/2	0.209	0.209
25	यूनुस फारूक फिरोज मलकाबी पिता यासिन कमलाबी	124/9/2/3	0.157	0.157
26	फिदा हुसैन अनवर हुसैन रमजु पिता जाकिर हुसैन	124/10	0.711	0.711
27	रईस पिता शरीफ	124/11/2	0.281	0.281
28	सत्यनारायण पिताहीरालाल त्रिवैदी सिमा पति ब्रजेश	124/12	0.366	0.366
29	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	124/13	0.512	0.512
30	जॉस डिजाईन परायवेटलिमिटेड डायरेक्टर रामशरण पिता वाय आर जिंदल	124/14/1	0.685	0.685
31	फिरोज फारूक सागरबाई सरदार पिता सरदार	124/14/2	0.684	0.684
32	फिदा हुसैन अनवर हुसैन रमजु पिता जाकिर हुसैन	124/15/2	0.194	0.194
33	अनारजी पिता शोभा	124/16	0.627	0.627
34	आई. बी. आई. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा ल	125/1	1.379	1.379
35	आई. बी. आई. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा ल	125/2/1/1	0.334	0.334
36	कुसुमपाठक पिता जे पी एन पाठक	125/2/1/2	0.356	0.356
37	कुसुमपाठक पिता जे पी एन पाठक	125/2/2	0.689	0.689
38	अल्लारखा पिता मोहम्मद	125/3/2	0.195	0.195
39	आई. बी. आई. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा ल	126/1	1.035	1.035
40	गीतादेवी पति नंदकिशोर	126/2	0.502	0.502
41	आई. बी. आई. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा ल	126/3	0.69	0.690
42	जसवंतसिंह पिता मदनसिंह	126/5	0.366	0.366
43	गीतादेवी पत्नी नंदकिशोर	126/6	1.254	1.254
44	फिदा हुसैन पिता रमजु , जाकिर हुसैन पिता रमजु , अनवर हुसैन पिता रमजु	126/7	0.282	0.282
45	फारूक एहसानपिता अकबरसुगराबाई वि. अकबर	127/1	0.481	0.481
46	फारूक एहसानपिता अकबरसुगराबाई वि. अकबर	127/2	0.669	0.669
47	फारूक एहसानपिता अकबरसुगराबाई वि. अकबर	128/1	0.303	0.303

48	ईरशाद पिता खुदाबक्ष	128/3	0.314	0.314
49	ईरशाद पिता खुदाबक्ष	128/4	0.167	0.167
50	फिरोज पिता सरदार, फारूक पिता सरदार, सागरबाई बेवा सरदार	129/1	0.209	0.209
51	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	129/2/1	0.366	0.366
52	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	129/2/2	0.157	0.157
53	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	129/5 , 130/8	0.627	0.627
54	करामत पिता नगजी	129/6	0.125	0.125
55	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	129/7	0.366	0.366
56	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	130/1	0.502	0.502
57	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	130/2	0.366	0.366
58	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	130/3	0.533	0.533
59	करामत पिता नगजी	130/4	0.314	0.314
60	नबीबक्ष पिता शोभा	130/6	0.314	0.314
61	नबीबक्ष पिता शोभा	130/7	0.564	0.564
62	जॉस डिजाईन परायवेट लिमिटेड	130/8	0.47	0.470
योग				24.965
1	(शासकीय) - नगरीय भूमि	120/2 , 121	1.494	1.494
2	(शासकीय) - नगरीय भूमि	123/4/1 123/4/2 124/3, 129/6	0.373	0.373
3	(शासकीय) - नगरीय भूमि	124/1	0.523	0.523
4	(शासकीय) - नगरीय भूमि	124/5/2	0.919	0.919
5	(शासकीय) - नगरीय भूमि	124/7, 124/9/1	0.826	0.826
6	(शासकीय) - नगरीय भूमि	124/8/1	0.354	0.354
7	(शासकीय) - नगरीय भूमि	124/11/1	0.137	0.137
8	(शासकीय) - चरनोई	124/15/1	0.475	0.475
9	(शासकीय) - नगरीय भूमि	125/3/1	0.725	0.725
10	(शासकीय) - नगरीय भूमि	126/4	0.418	0.418
11	(शासकीय) - नगरीय भूमि	126/8/1	0.497	0.497
12	(शासकीय) - नगरीय भूमि	126/8/2	0.497	0.497
13	(शासकीय) - नगरीय भूमि	127/3	0.627	0.627
14	(शासकीय) - नगरीय भूमि	128/2	0.314	0.314
15	(शासकीय) - नगरीय भूमि	129/3	0.502	0.502
16	(शासकीय) - नगरीय भूमि	129/4 , 130/4	0.784	0.784
17	(शासकीय) - नगरीय भूमि	130/5	0.397	0.397
योग				9.862
महायोग				34.827

ग्राम नागझिरी तहसील कोठी महल जिला उज्जैन

1	सुनीता पति आनंद पण्ड्या जोन्स डिजाइन प्रा ली द्वारा डाइरेक्टर रामशरण जिन्दल पिता वाय आरजिंदल	128/1/1	0.742	0.742
2	सुनीता पति आनंद पण्ड्या जोन्स डिजाइन प्रा ली द्वारा डाइरेक्टर रामशरण जिन्दल पिता वाय आरजिंदल	128/1/2	0.627	0.627
योग				1.369
नगर विकास योजना टीडीएस-03 में सम्मिलित कुल भूमि				126.320

प्रारूप नगर विकास स्कीम में अंतिम भूखण्ड का आवंटन उपरोक्त दर्शाई गई भू-धारिता तथा स्वामित्व के आधार पर आवंटित किया जावेगा, भू-धारिता अथवा तालिका में दर्शाये गये क्षेत्रफल में किसी विसंगति को, अथवा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी उपविभाजन (सबडिवीजन) को ; सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर जानकारी में लाया जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात् अंतिम भूखण्ड के आवंटन के प्रयोजन हेतु मूल भूखण्ड में किये गये किसी उपविभाजन पर विचार नहीं किया जाएगा।

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

(G-2095)

न्यायालयों की सूचनाएँ
न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वारासिवनी
जिला बालाघाट, (मध्यप्रदेश)

रा.प्र.क्र.-0001-ब-113-2021-22

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(2) के तहत]

आवेदक अध्यक्ष, श्री सुरेश कुमार लिल्हारे पिता गुलाब सिंह लिल्हारेनिवासी सावरी तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट म.प्र. द्वारा, "बाबा सनतकुमार दास उदासीन, सावरी" को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. जिसकी सुनवाई दिनांक 12.12.2022 को इस न्यायालय में समय दोपहर 12.00 बजे की जावेगी।

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त न्यास या संपत्ति के प्रति रुचि हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 12.12.2022 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियों प्रस्तुत करें, और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा दोपहर 12.00 बजे नियत तिथि को इस न्यायालय में उपस्थित होवें। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता —बाबा सनतकुमार दास उदासीन संस्थान, सावरी, तह.खैरलांजी, जि.बालाघाट म.प्र.

2. अचल संपत्ति का विवरण —कृषि भूमि कुल रकबा 1.874 हे.,
अर्द्धपक्की कुटिया(आश्रम) 25X20वर्गफीट,

3. चल संपत्ति का विवरण —रुपये 11125/- सेन्टल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा खैरलांजी में जमा.

के. सी. बोपचे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार.

(G-2096)

**न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश**

प्र.क्र. बी—113—22—23

विदिशा, दिनांक 4 नवम्बर 2022

प्रारूप—4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

आवेदक श्री सनत कुमार पुत्र स्व.श्री कमलचंद जैन निवासी सागर पुलिया के पास विदिशा द्वारा स्व.श्री सेठ मूलचंद, रत्नचंद, कमलचंद जैन (मणीधर) पारमार्थिक ट्रस्ट के गठन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक ०५/१२/२०२२ को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दें, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक ०५/१२/२०२२ को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई भी न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपरिथित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता — | स्व.श्री सेठ मूलचंद, रत्नचंद, कमलचंद जैन (मणीधर)
पारमार्थिक ट्रस्ट |
| 2. चल सम्पत्ति — | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति — | निरंक |

गोपाल सिंह वर्मा, उपर्युक्त अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-2097)

**न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग, सांवेर, इन्दौर
मध्यप्रदेश**

क्र. 5494—रीडर—1—22

सूचना—पत्र
(फार्म—चार)

सांवेर, दिनांक 11 नवम्बर 2022

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951: तीसः (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 5 (1) के अंतर्गत आवेदक श्री नथुलाल पिता श्री छोटेलाल निवासी वार्ड न. 12 गवली मोहल्ला सांवेर द्वारा श्री गवली (यादव) सकल पंच धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास सांवेर पता— वार्ड न. 12 गवली मोहल्ला सांवेर जिला इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4 (2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क जमा कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिषिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

परिषिष्ट

ट्रस्ट का नाम	गवली (यादव) सकल पंच धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास सांवेर
पता	वार्ड न. 12 गवली मोहल्ला सांवेर जिला इन्दौर
चल सम्पत्ति	नगद रुपये 139116.95/- (अक्षरी एक लाख उनचालीस हजार एक सौ सौलह रुपये पिन्च्यानवे पैसा मात्र)
अचल सम्पत्ति	ग्राम सांवेर की भूमि सर्वे न. 80/1/2 रक्बा 0.506 हैक्टेयर में से 60 गुणित 50 फीट कुल 3000 वर्गफीट का भूखण्ड (नथुलाल, टीकमचंद पिता छोटेलाल यादव द्वारा दान पत्र दिनांक 10.01.2015 से दान किया गया)

आज दिनांक11/11/2022..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-2098)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला
इंदौर (मध्यप्रदेश)**

फार्म—चार

क्र. 1114—रीडर—1—22

जूनी, इंदौर, दिनांक 2 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीसः (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अंतर्गत]

विजित फाउण्डेशन पता—401, अमर दर्शन बिल्डीग, 28/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिषिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निष्ठित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिषिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल संपत्ति का विवरण)

विजित फाउण्डेशन पता—401, अमर दर्शन बिल्डीग, 28/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर
अचल संपत्ति :- निंक ।
चल संपत्ति :- 2,00,000/-।

आज दिनांक 11/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-2099)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी जिला, नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

क्र. 4965—अविअ—रीडर—1—2021—राजस्व प्र.क्र. 0003—बी—113(1)—2022—23

इटारसी, दिनांक 21 नवम्बर 2022

इस न्यायालय में प्रचलित राजस्व 'प्रकरण क्रमांक-0003/बी-113(1)/2022-23 में आवेदक श्री के.के.गुप्ता वल्द श्री नवेलाल गुप्ता निवासी मकान नंबर-36, तिरुपति नगर इटारसी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) के द्वारा आवेदन पत्र वास्ते गायत्री परिवार द्रस्ट इटारसी का कार्यालय ग्राम पथरोटा में परिवर्तित कर द्रस्ट पंजी में पंजीयन करने बाबत निवेदन किया गया है। आवेदक गायत्री परिवार द्रस्ट इटारसी के ग्रामीण क्षेत्र पथरोटा का मुख्य प्रबंधक द्रस्टी है एवं एक सहायक प्रबंधक द्रस्टी श्री शरद वर्मा एवं अन्य द्रस्टी हरिलाल देशमुख वल्द जयराम निवासी ग्राम मेहरांगॉव तहसील इटारसी, श्री प्रेमशंकर अग्निभोज वल्द श्री रामलाल, श्री के.एल.टिकारे, श्री अरविन्द कसोटिया, श्री दीपक चोधरी, श्री रामकिशन मालवीय इस प्रकरण सभी द्रस्टी हैं। प.ह.नं. 37 ग्राम पथरोटा स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 192 कुल रकबा 4578.75 वर्गफुट है जिसमें से करीब 500 वर्गफुट पर कच्चा कवेलू का मकान है एवं बाकी खाली रकबा जो कि वृक्ष रहित है। यह भूमि श्री नर्मदाप्रसाद चिमानिया वल्द श्री रामनारायण शोभाराम चिमानिया आयु 75 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 आयकर भवन इटारसी द्वारा गायत्री परिवार इटारसी को एवं गायत्री परिवार के द्रस्टीयों के नाम दान पत्र दिनांक 14.08.2021 को की गई है। इस संपूर्ण रकबे 4578.75 वर्गफुट की चतुर्सीमा इस प्रकार है कि पूर्व में दानदाता नर्मदाप्रसाद चिमानिया की भूमि, एवं जगदीशप्रसाद का मकान, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रास्ता, तथा दक्षिण में रास्ता स्थित है। आवेदन पत्र में यह भी लेख किया है कि वर्तमान में ग्राम पथरोटा में स्थित निजीदान से मिली भूमि पर गायत्री माता का मंदिर एवं अन्य निर्माण तथा मुख्य कार्यालय शांतिकुंज हरिद्वार द्रस्ट के नियमानुसार सभी विधि व पूजन किया जावेगा। शांतिकुंज हरिद्वार स्थित वेदमाता गायत्री द्रस्ट का पंजीयन क्रमांक 29 एस.एच.एन.73-74 दिनांक 29.06.1973/12400 है। ग्राम पथरोटा में इसी द्रस्ट की एक शाखा एवं उसका कार्यालय है। गायत्री मंदिर की हर सामाजिक गतिविधियों का कार्यक्षेत्र भविष्य में ग्राम पथरोटा की दान में प्राप्त हुई उक्त वर्णित भूमि होगी।

अतः आवेदक पक्ष के उपरोक्त दर्शित आवेदन पत्र पर दर्शित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति पेशी दिनांक 30/11/2022 को स्वयं अथवा अपने वैध अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त सभी आपत्ति अमान्य की जावेगी।

यह पेपर विज्ञाप्ति आज दिनांक 21/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2100)

मदन सिंह रघुवंशी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच, (मध्यप्रदेश)

प्रारूप-4

प्र.क्र. 02-बी-113(1)-2022-23

नीमच, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

चूंकि श्री श्री चम्पालाल पिता केशुराम गुर्जर, निवासी—श्री देव कृषि बाजार पुराना आर.टी.ओ. ऑफिस हिंगोरिया द्वारा “श्री वीर गुर्जर समाज सेवा ट्रस्ट नीमच” लोक न्यास पंजीयन हेतु म.प्र.लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16 नवंबर,2022 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं डॉ ममता खेड़े, पंजीयक,लोक न्यास,नीमच,म.प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 नवंबर,2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

लोक न्यास का नाम व पता

:- “श्री वीर गुर्जर समाज सेवा ट्रस्ट नीमच”
श्री देवकृषि बाजारा पुराना आ.टी.ओ. ऑफिस हिंगोरिया
जिला—नीमच

लोक न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण :- निरंक

चल सम्पत्ति :- 5000/- (अक्षरी रूपये पांच हजार मात्र)

(G-2101)

प्र.क्र. 01-बी-113(1)-2022-23

चूंकि श्री सतीशचंद्र गोयल पिता माणकचंद्र गोयल, निवासी—३७ सत्यपथ दानागली नीमच द्वारा “श्री फूलचन्द्र रामसहाय परमार्थिक एवं धार्मिक न्यास नीमच” लोक न्यास पंजीयन हेतु म.प्र.लोक न्यास अधिनियम १९५१ (१९५१ का ३०) की धारा—४ अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है। ऐतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक १६ नवंबर, २०२२ को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञाप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं डॉ ममता खेड़े, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म.प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक १६ नवंबर, २०२२ को उक्त अधिनियम की धारा—५ की उपधारा (१) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः ऐतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

लोक न्यास का नाम व पता

:- “श्री फूलचन्द्र रामसहाय परमार्थिक एवं धार्मिक न्यास

नीमच”

३७, सत्यपथ नीमच, जिला—नीमच

लोक न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण :- निरंक

चल सम्पत्ति

:- ११०००/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र)

(G-2102)

प्र.क्र. 04-बी-113(1)-2022-23

नीमच, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

चूंकि श्री निर्मलदेव नरेला पिता अर्जुन देव नरेला निवासी—नया बाजार नीमच द्वारा “श्री गौ—धाम सेवा न्यास नीमच जिला नीमच” लोक न्यास पंजीयन हेतु म.प्र.लोक न्यास अधिनियम १९५१ (१९५१ का ३०) की धारा—४ अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

ऐतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक ११ नवंबर, २०२२ को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञाप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं एस.एल.शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म.प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक ११ नवंबर, २०२२ को उक्त अधिनियम की धारा—५ की उपधारा (१) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः ऐतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

लोक न्यास का नाम व पता

:- “श्री गौ—धाम सेवा न्यास नीमच जिला नीमच”

बंगला नंबर ६० के पास एवं माहेश्वरी समाज को आबंटित भूमि के पास
में स्थित नगरपालिका नीमच में स्थित है।

लोक न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण :- निरंक

चल सम्पत्ति :- निरंक

(G-2103)

एस. एल. शाक्य, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मल्हारगढ़,
जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 02—बी—113(1)—2022—23

मल्हारगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)]

पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर के समक्ष आवेदक महासचिव हुकमीचन्द कनेरिया पिता श्री उकारलालजी कनेरिया दर्जी नि० 25 बसंत विला प्रताप कालोनी पिपल्यास्टेशन “श्री पीण क्षत्रिय(दर्जी) समाज द्रस्ट पिपलिया स्टेशन तहसील मल्हारगढ़ म०प्र०” द्वारा आवेदन पेश किया गया ।

मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है,

अब इसलिए, मैं मुकेश शर्मा लोक न्यास का पंजीयक उपखण्ड मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 20 / 12 / 2022 को उपखण्ड मल्हारगढ़ पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा ।

अनुसूची:-

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम:— “श्री पीण क्षत्रिय(दर्जी) समाज द्रस्ट पिपलिया स्टेशन तहसील मल्हारगढ़ म०प्र०”

द्रस्ट का कार्यालय श्री दिलीप पालीवाल, निर्माण मंत्री जय श्री कन्दक्षन कूमठ काम्पलेक्स चौपाटी पिपल्या स्टेशन है।

सम्पत्ति का विवरण:— द्रस्ट की सभी चल सम्पत्तिया द्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में हैं जो निम्न प्रकार हैः—

- 1— द्रस्ट की चल सम्पत्ति:— सेन्टल बैंक आफ इण्डिया पिपल्यामण्डी चालू खाता क्रमांक 349173399 में 15,629/-रु. जमा है तथा शेष राशि एफ०डी० से जमा होकर कुल 3,43,521/-रु. जमा है।
- 2— द्रस्ट की अचल सम्पत्ति:— निरंक

(G-2104)

मुकेश शर्मा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, वारासिवनी
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश
फार्म-4
[नियम 5(1) देखिये]

रा.प्र.क्र. 0001-ब-113-2022-23

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा 5(2) के तहत]

आवेदक अध्यक्ष, श्री शेखर सुरेश खण्डेलवाल निवासी वार्ड नं. 7 वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र. द्वारा, "गायत्री शक्तिपीठ मंदिर ट्रस्ट, वारासिवनी" को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. जिसकी सुनवाई दिनांक 24.12.2022 को इस न्यायालय में समय दोपहर 12.00 बजे की जावेगी।

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त न्यास या संपत्ति के प्रति रुचि हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 24.12.2022 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियों प्रस्तुत करें, और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा दोपहर 12.00 बजे नियत तिथि को इस न्यायालय में उपस्थित होवें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता – "गायत्री शक्तिपीठ मंदिर ट्रस्ट, वारासिवनी" जि. बालाघाट म.प्र.
2. अचल संपत्ति का विवरण –कृषि भूमि कुल रकबा 0.189 हे.,
धर्मशाला, मंदिर, पुजारी निवास 1800 वर्गफीट,
रुपये 15323/- सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया,
3. चल संपत्ति का विवरण के साथ वारासिवनी में जमा.

के. सी. बोपचे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार

(G-2105)

कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

क्र. परिसमापन—2022—2549—A

उज्जैन, दिनांक 4 नवम्बर 2022

परिसमापित सहकारी संस्थाओं के संबंध में पूर्व में प्रसारित आदेशों से आंशिक संशोधन करते हुए मैं मनोज कुमार गुप्ता, उप आयुक्त, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) तथा म0प्र0 शासन सहकारिता विज्ञप्ति क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी भोपाल दिनांक 26.07.99 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कॉलम क्रमांक 04 में अंकित अधिकारियों के नाम के स्थान पर कॉलम क्रमांक 05 पर अंकित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में आने का आदेश क्र0/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम व पद	नवीन नियुक्त परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4		5
1	प्रगति साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	DR/UJN / 134 / 30.03.2011	2419 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
2	गीतांजलि साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 126 / 09.07.2010	2419 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
3	विकासादित्य साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 110 / 30.03.2009	2419 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
4	मालतिनंदन कैंडिट सोसायटी उज्जैन	DR/UJN / 85 / 25.04.2007	2419 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
5	नीलकंठ साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	DR/UJN / 01 / 27.12.2000	2419 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
6	मालवीय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कचनारिया	DR/UJN / 138 / 20.05.2011	2418 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
7	आरथा साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 23 / 30.04.2002	1673 / 23.07.2016	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
8	महेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1798 / 05.11.2012	2422 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
9	इण्डर्स्ट्रीयल डेवलपमेंट साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 125 / 01.07.1970	1673 / 23.07.2016	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
10	तिरुपति महिला साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 99 / 11.07.2008	1673 / 23.07.2016	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
11	दुध सहकारी संस्था मर्या. गुनईखालसा	DR/UJN / 1998 / 01.01.2015	739 / 08.03.2016	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
12	शुभम साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1442 / 11.02.1993	1629 / 05.05.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
13	किरण साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1442 / 11.02.1993	1629 / 05.05.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)

14	ओम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मुण्डलासुलेमान	DR/UJN / 132 / 22.10.2010	955 / 18.03.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
15	आदर्श दाल चावल उद्योग सह. संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 882 / 11.06.1969	3561 / 08.12.2016	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
16	जय श्री सदगुरु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.उमरिया जाहीर	DR/UJN / 136 / 20.04.2011	2418 / 07.07.2017	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
17	प्राथ. दलित सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1556 / 24.04.2001	1524 / 09.07.2013	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
18	प्राथ.वाल्मीकी सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1520 / 17.07.2004	1524 / 06.07.2013	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
19	बलबीर सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1535 / 16.10.2000	1048 / 23.05.2015	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
20	हिन्दुस्तान सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1591 / 18.07.2002	1048 / 23.05.2015	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
21	राष्ट्रीय शक्ति चलित बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	DR/UJN / 192 / 02.08.1968	1474 / 31.05.2022	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
22	बाबाश्री साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	DR/UJN / 133 / 25.02.2011	1474 / 31.05.2022	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)
23	मॉ. भवानी महिला वहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या. अमलावदाजुनावा	DR/UJN / 1670 / 13.04.2005	1946 / 16.03.2022	श्री मुकेश पंवार (सहकारी निरीक्षक)	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)

००११ यह आदेश आज दिनांक ०५.११.२०२२ को कार्यालयी। पदमुद्रा से मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मनोज कुमार गुप्ता, उप आयुक्त

(G-2106)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, (मध्यप्रदेश)

क्र. परिसमापन—2022

सीहोर, दिनांक 4 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2022/344 सीहोर दिनांक 09.03.2022 के द्वारा दूर संचार शासकीय कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित सीहोर तहसील व जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1048 दिनांक 27.10.1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ परिसमापक की बैठक का कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूर संचार शासकीय कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित सीहोर तहसील व जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1048 दिनांक 27.10.1994 संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कापौरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ५/११/२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-2107)

क्र. परिसमापन-2022

सीहोर, दिनांक २ नवम्बर २०२२

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 के अंतर्गत]

उन्निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2019/736 सीहोर दिनांक 01.08.2019 जारी कर संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने हेतु पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 3 सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है।

संस्था द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में ना तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और ना ही पक्ष सर्वमर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर निम्नलिखित संस्थाओं को धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत उनके समक्ष दर्ज अधिकारियों/कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	नियुक्त अधिकारी का नाम व पद
1	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या. हरनियागौव तह. आष्टा	966 / 09.11.89	श्री ए.के. सीठा, सह.निरी.
2	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या. हरनावदा तह. आष्टा	969 / 09.11.89	श्री ए.के. सीठा, सह.निरी.
3	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या. बडलिया बरामद तह. आष्टा	1516 / 30.09.10	श्री वैभव सक्सेना, उप अंके.
4	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या. कनियाखेड़ी तह. आष्टा	1123 / 07.11.94	श्री विनय शर्मा, उप अंके.
5	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या. अरनिया गाजी तह. आष्टा	1037 / 19.07.94	श्री एस.डी. राठौर, उप अंके.
6	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या. हाजीपुरा तह. इच्छावर	1554 / 09.09.11	श्री डी.के. आर्य, उप अंके.
7	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या. कोठरा तह. नसरुल्लागांज	1810 / 24.11.14	श्री उमेश मिश्रा, सह.निरी.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें,

(G-2108)

क्र. परिसमापन—2022

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960[’] की धारा 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2019/736 सीहोर दिनांक 01.08.2019 जारी कर संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने हेतु पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 3 सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में ना तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और ना ही पक्ष सर्वथन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप—रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर निम्नलिखित संस्थाओं को धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा—70 के अन्तर्गत उनके समक्ष दर्ज अधिकारियों/कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	नियुक्त अधिकारी का नाम व पद
1	आदर्श बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या. बासियां तह. सीहोर	1586 / 19.06.12	श्री एन.के. गुप्ता, सह.निरी.
2	विनायक बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या. पचामा तह. सीहोर	1583 / 07.12.11	श्री विनय शर्मा, उप अंके.
3	बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या. खेडी तह. इछावर	1543 / 16.05.11	श्री विनय शर्मा, उप अंके.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें,

यह आदेश आज दिनांक ११/१२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी

किया गया।

(G-2109)

क्र. परिसमापन—2022

सीहोर, दिनांक 4 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2022/645 सीहोर दिनांक 17.05.2022 के द्वारा आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित बोर्डीकलां तहसील इछावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1448 दिनांक 28.08.2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री डी.के. आर्य, उप अंकेश्वक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ परिसमापक की बैठक का कार्यवाही विवरण, अंकेश्वक निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित बोर्डीकलां तहसील इछावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1448 दिनांक 28.08.2009 संस्था का निगम निकाय (बाडी कापौरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ५/११/२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-2110)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सिवनी, (मध्यप्रदेश)

क्र. उपर्युक्त-विधि-परिसमापन-2022-2194

सिवनी, दिनांक 31 अक्टूबर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

अध्यक्ष/संचालक मंडल (समस्त सदस्य), हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या दिवारी (जिसे आगे केवल संस्था कहा जावेगा) पं. क्रमांक 770 विकासखण्ड घंसौर जिला सिवनी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपर्युक्त/परिसमापन/2022/1876 सिवनी दिनांक 02.09.2022 के द्वारा म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। लेकिन निर्धारित समयावधि से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था कार्य में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह/1/सी दिनांक 26.07.1999 एवं म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाये सिवनी, हरिजन मछुआ संहकारी समिति मर्या दिवारी पं. क्रमांक 770 विकासखण्ड घंसौर जिला सिवनी को आज दिनांक 31.10.2022 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाता हूँ तथा म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाये सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे हस्ताक्षरे एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अखिलेश कुमार निगम, उप पंजीयक.

(G-2111)

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी साख सहकारी संस्था
मर्यादित, जिला सीहोर (मध्यप्रदेश)

क्र.—परिसमापक—2022—क्यू.

सीहोर, दिनांक 7 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला सीहोर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में
लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1	म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या. सीहोर	1109 / 28.01.2003	797 / 29.06.2022

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ पुराना जिला पंचायत कार्यालय लुनिया चौराहा सीहोर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मात्र नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तिय पत्रकों में दर्शायी गयी लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 07/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(G-2112)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, (मध्यप्रदेश)

क्र. स.नि.-परि.-22-क्यू.

सीहोर, दिनांक 9 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 57(सीग) के अंतर्गत]

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन आदेश क्र.	परि. आदेश दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बोरीकलौ	1070	1622	08-08-2022
02	नवीन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कोसला	1071	1623	08-08-2022
03	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. दुल्हापुर	1074	1625	08-08-2022
04	आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जनमखारी	1082	1632	08-08-2022
05	ओम साई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. केसला	1089	1639	08-08-2022
06	जागृति लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. जेवनारा	992	1654	08-08-2022
07	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. जनमखारी	993	1655	08-08-2022
08	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. खंडपुरिया	996	1657	08-08-2022
09	ग्राम विकास लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. मोहगांव	999	1659	08-08-2022
10	विकास महिला लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. सिंगपुर	1010	1665	08-08-2022
11	आनन्द महिला लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. खुर्सीपार	1011	1666	08-08-2022
12	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. रेचना	1012	1667	08-08-2022
13	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. चिमनाखारी	1035	1686	08-08-2022
14	जनकल्याण प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. मोहगांव	1040	1688	08-08-2022
15	युगान्तर प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. बुड़ैनाखुर्द	1045	1689	08-08-2022
16	विकास प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. मानेगावखुर्द	1042	1690	08-08-2022
17	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. केसलाकलौ	1043	1691	08-08-2022
18	धनलक्ष्मी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. पिंडरईखुर्द	1039	1695	08-08-2022
19	विलये सहकारी समिति मर्या. बरघाट	957	1723	16-08-2022
20	गोडवाना दोंदों पहाड़ जन सेवा सहकारी समिति मर्या. मिर्चीटीला पाथरफोड़ी	966	1727	16-08-2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं एस.के.राठी परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एस. के. राठी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-2113)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सिवनी, (मध्यप्रदेश)

क्र. स.नि.—परि.—22—क्यू.

सीहोर, दिनांक 9 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत]

^१ जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियों जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियों, जिला सिवनी के आदेश के अंतर्गत म.प्र.सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन आदेश क्र.	परि. आदेश दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पिण्डरई	1068	1620	08-08-2022
02	बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कलशोडी	1096	1644	08-08-2022
03	हंस महिला प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. पिपरिया	1036	1687	08-08-2022
04	यश महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या. सिवनी	981	1766	18-08-2022
05	आदर्श मिट्टी तेल हाकर्स एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या. सिवनी	982	1768	18-08-2022
06	श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. सिवनी	980	1769	18-08-2022
07	नवशक्ति महिला सहकारी समिति मर्या. सिवनी	979	1770	18-08-2022
08	आजाद हिन्द जन कल्याण सहकारी समिति मर्या. सिवनी	978	1771	18-08-2022
09	सहेली गृह उद्योग नेटवर्क मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या. सिवनी	984	1773	18-08-2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं टी.बैक परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएँ जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

टी. बैक, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,

(G-2114)

कार्यालय, शासकीय समानुदेशिती साई क्रय विक्रय सहकारी सोसायटी मर्यादित, हरदा (मध्यप्रदेश)
प्र.क्र. 01 हरदा, दिनांक 11 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(ग) के तहत]

यह कि साई क्रय विक्रय सहकारी सोसायटी मर्यादित हरदा जिला हरदा पंजीयन कमांक जे.आर.बी/15 दिनांक 24.08.2009 जिसका कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए, नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम के आदेश क्र./विधि/2022/1257 नर्मदापुरम् दिनांक 18.10.2022 द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के तहत पंजीयन निरस्त किया जाकर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को शासकीय समानुदेशिती नियत किया गया है,

अतः मैं ए.पी.एस. बिलोदिया अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएँ, हरदा एवं शास. समानुदेशिती साई क्रय विक्रय सहकारी सोसायटी मर्यादित हरदा संस्था से संबंद्ध समस्त संबंधितों को सूचित करता हूँ कि उक्त सूचना दिनांक से 02 माह की समयावधि के भीतर, यदि कोई दावा/आपत्ति अथवा कोई अभिलेख तथा संस्था से संबंधित कोई जानकारी हो, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय दस्तावेजों/ साक्ष्य सहित कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला हरदा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं, उक्त समयावधि व्यतीत होने पश्चात् किसी प्रकार का दावा/आपत्ति आदि मान्य नहीं किए जावेंगे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त दावों/आपित्तयों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा ।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 11.11.22 को जारी किया गया ।

(G-2115)

प्र.क्र. 02

यह कि शिवाजी मुद्राणालय सहकारी सोसायटी मर्या. हरदा जिला हरदा, जिसका कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए, नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम के आदेश क्र./विधि/2022/1258 नर्मदापुरम् दिनांक 18.10.2022 द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के तहत पंजीयन निरस्त किया जाकर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को शासकीय समानुदेशिती नियत किया गया है,

* अतः मैं ए.पी.एस. बिलोदिया अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएँ, हरदा एवं शास. समानुदेशिती शिवाजी मुद्राणालय सहकारी सोसायटी मर्या. हरदा, संस्था से संबंद्ध समस्त संबंधितों को सूचित करता हूँ कि उक्त सूचना दिनांक से 02 माह की समयावधि के भीतर, यदि कोई दावा/आपत्ति अथवा कोई अभिलेख तथा संस्था से संबंधित कोई जानकारी हो, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय दस्तावेजों/ साक्ष्य सहित कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला हरदा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं, उक्त समयावधि व्यतीत होने पश्चात् किसी प्रकार का दावा/आपत्ति आदि मान्य नहीं किए जावेंगे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त दावों/आपित्तयों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा ।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 11.11.22 को जारी किया गया ।

(G-2116)

**कार्यालय, शासकीय समानुदेशित नर्मदा सहकारी शक्कर कारखाना सहकारी सोसायटी मर्या.
हरदा मध्यप्रदेश**

प.क्र.-03

हरदा, दिनांक 11 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के तहत]

यह कि नर्मदा सहकारी शक्कर कारखाना सहकारी सोसायटी मर्या. हरदा जिला हरदा पंजीयन क्रमांक जे.आर.बी./08 दिनांक 12.08.2001 जिसका कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम् के आदेश क./विधि/2022/1246 नर्मदापुरम् दिनांक 14.10.2022 द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के तहत पंजीयन निरस्त किया जाकर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को शासकीय समानुदेशिती नियत किया गया है,

अतः मैं ए.पी.एस. बिलोदिया अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएँ, हरदा एवं शास. समानुदेशिती नर्मदा सहकारी शक्कर कारखाना सहकारी सोसायटी मर्या. हरदा संस्था से संबंध समस्त संबंधितों को सूचित करता हूँ कि उक्त सूचना दिनांक से 02 माह की समयावधि के भीतर, यदि कोई दावा/आपत्ति अथवा कोई अभिलेख तथा संस्था से संबंधित कोई जानकारी हो, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय दस्तावेजों/ साक्ष्य सहित कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला हरदा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं, उक्त समयावधि व्यतीत होने पश्चात् किसी प्रकार का दावा/आपत्ति आदि मान्य नहीं किए जावेंगे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त दावों/आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 11.11.22 को जारी किया गया।

(G-2117)

ए.पी.एस. बिलोदिया, अंकेक्षण अधिकारी.

**ईमारती, जलाऊ लकड़ी एवं व्यापारिक बांस परिवहन समूहों हेतु निविदा/नीलाम की सूचना बैतूल
वन वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत बैतूल उत्पादन वनमंडल के विभिन्न परिवहन समूहों से संबंधित कालागारों एवं बौसागारों में ईमारती, जलाऊ लकड़ी एवं व्यापारिक बांस के परिवहन करने के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम पर निम्नलिखित तिथियों में अपरान्ह 02:00 बजे दिन तक कालागार बैतूल के नीलाम हॉल में नियमानुसार दिनांक को आमत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे उपरिथित निविदाकारों के समक्ष कालागार बैतूल के नीलाम हॉल में खोली जावेगी।

प्रथम दोर निविदा दिनांक/दिन	द्वितीय दोर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दोर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दोर निविदा अपरान्त नीलाम दिनांक/दिन
31/10/2022 सोमवार	07/11/2022 सोमवार	14/11/2022 सोमवार	14/11/2022 सोमवार

तृतीय दोर के पश्चात् शेष बचे परिवहन समूहों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन दिनांक 14/11/2022 दिन सोमवार को अपरान्ह 04:30 बजे से किया जावेगा। जिसमें सत्यकारी की राशि के रूप में रुपये 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट या डिपजिटएटकाल के रूप में लिये जायेंगे।

निर्धारित निविदा का प्रारूप (फार्म) निविदा शर्ते एवं परिवहन समूहों से संबंधित जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल कार्यालय बैतूल से रुपये 100/- (एक सौ रुपये) की अदायगी करने पर प्राप्त की जाएगी।

(G-2118)

पी.जी. फुलझेले, मुख्य वनसंरक्षक।

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमण्डल, बालाघाट, (मध्यप्रदेश)

पत्र क्र.-माचि.-2-1541

बालाघाट, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर (सा.) परिक्षेत्र के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक बैहर भाग II का पर्सनल हेमर श्री फिरोज हैदरी वनपाल द्वारा बीट लीलामेटा में दिनांक 26.10.2015 को बीट निरीक्षण के दौरान बैग फटा होने के कारण हेमर कहीं गिर गया। जिसको खोजने का हर संभव प्रयास किया गया, किन्तु उक्त गुमशुद्ध हेमर का कहीं पता नहीं चला, जिसकी सुचना नजादको पुलिस थाना लूपज़र (उकड़ा) तह. बैहर जिला बालाघाट को दी गई है।

श्री फिरोज हैदरी (वनपाल) को उक्त कृत्य के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./2773 बालाघाट दिनांक 02.09.2022 से कारण बताओं सुचना पत्र जारी किया गया, जिनके जवाब में उनके द्वारा दिनांक 09.09.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्राप्त उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री फिरोज हैदरी (वनपाल) द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण पर्सनल हेमर गुम हुआ है।

अतः उक्त कृत्य के कारण पर्सनल हेमर न मिलने की स्थिती में यह आदेशित किया जाता है कि :-

// आदेश //

आदेश क्रमांक/मा.चि./ 310

बालाघाट, दिनांक 19/10/2022

वन वित्तीय नियम 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त गुमशुद्ध हेमर को हेमर रजिस्टर भण्डार एवं शासकीय अभिलेखों से अपलेखित किया जाता है। उक्त गुमशुद्ध हेमर की आकृति निम्नानुसार है :-

3

R A

25

B↑G

19/10/2022 श्री फिरोज हैदरी (वनपाल) के बैतन से हेमर की राशि 550/- (पाँच सौ पचास रुपये मात्र) एक मुश्त वसूल की जावे। शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिलता है तो निकटतम थाने या वन विभाग के किसी कार्यालय में जमा करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार में रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया जाता है तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 वी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-2119)

पत्र क्र.-माचि.-2-1539

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर (सा.) परिक्षेत्र के अंतर्गत बीट सीताडोंगरी का बीट हेमर श्रवण कुमार उड़इके, वनरक्षक द्वारा बीट सीताडोंगरी में दिनांक 16.05.2014 को बीट गश्ती के दौरान वनकक्ष क्रमांक 1559 में बैग से कहीं गिर गया। जिसकी तलाशी मवेशी चराने वाले चरवाहे एवं गिरी पड़ी लकड़ी बीनने वाले ग्रामीणों से पुछताछ किया गया तथा जिसको खोजने का हर संभव प्रयास किया गया, किन्तु उक्त गुमशुद्ध हेमर का कहीं पता नहीं चला, जिसकी सूचना नजदिकी पुलिस थाना बैहर तह. बैहर जिला बालाघाट को दी गई है।

श्री श्रवण कुमार उड़इके, वनरक्षक को उक्त कृत्य के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./2775 बालाघाट दिनांक 02.09.2022 से कारण बताओं सुचना पत्र जारी किया गया, जिनके जवाब में उनके द्वारा दिनांक 25.09.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्राप्त उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री श्रवण कुमार उड़इके, वनरक्षक द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण बीट सीताडोंगरी का बीट हेमर गुम हुआ है।

अतः उक्त कृत्य के कारण बीट सीताडोंगरी का बीट हेमर न मिलने की स्थिती में यह आदेशित किया जाता है कि :-

// आदेश //

आदेश क्रमांक/मा.चि./ 311

बालाघाट, दिनांक 10/10/2022

वन वित्तीय नियम 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त गुमशुद्ध हेमर को हेमर रजिस्टर भण्डार एवं शासकीय अभिलेखों से अपलेखित किया जाता है। उक्त गुमशुद्ध हेमर की आकृति निम्नानुसार है :-

10/10/2022 श्री श्रवण कुमार उड़इके, वनरक्षक के बैतन से हेमर की राशि 800/- (ऑठ सौ रुपये मात्र) एक मुश्त वसूल की जावे। शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिलता है तो निकटतम थाने या वन विभाग के किसी कार्यालय में जमा करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार में रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया जाता है तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 वी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



(G-2120)

अभिनव पल्लव मा.व.से., वनमण्डलाधिकारी.

वनमंडलाधिकारी वनमंडल, सेंधवा (सामान्य) वनमण्डल, जिला बड़वानी, (मध्यप्रदेश)

क्र. राजस्व—2022—4091

बड़वानी, दिनांक 7 नवम्बर 2022

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि सेंधवा वन मण्डल में निम्नलिखित

वनक्षेत्र दिनांक 1 जुलाई 2022 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होगे। जो चरवाहे अथवा पशु

स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

प्रपत्र

चराई वर्ष 2021–22 चराई हेतु प्रतिबंधित वृक्षारोपण की सूची,(सेंधवा वन मण्डल, सामान्य)

क्र.	परिक्षेत्र	वर्ष	चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम एवं कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल हेंडे
1	2	3	4	5
वर्ष 2016–17				
1	वरला	2016–17	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII धामन्या 509	96.45
2	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII जूनापानी 498	139.45
3	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII दुगानी 521	172.21
4	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII महेन्द्रयापानी 534	222.02
5	पानसेमल	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोगरियापानी 720	167.73
6	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII बायोर 728	297.48
7	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII देवगड 736	95.39
8	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII टेमली 744	210.84
9	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII पन्नाली 755	105.15
10	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII भडभडा 763	139.13
11	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII पिपलोद 774	117.79
12	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII खडीखम 788	181.37
13	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII झेडियामाल 802	105.89
14	सेंधवा	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोहाला 599	116.58
15	धनोरा	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII मुवास्या 652	96.13
16	धनोरा	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII रामकोला 636	89.04
17	धवली	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII उमरियापानी 427	197.05
18	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII खोखरी 452	105.43
19	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII खपाड़ा 457	138.29
20	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII अजगरिया 464	127.25
21	—	—	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII अडनदी 436	180.8
योग :-				3101.47
वर्ष 2016–17				
22	सेंधवा	2016–17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII नवलपुरा 713	79.43
23	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII राईखेडा 577	127.17
24	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वाक्या 606	81.6
25	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII आंचली 597	119.66
26	पानसेमल	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII मलगांव 760	170.17
27	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII मनकुई 775	301.15
28	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सुलगांव 795	118.65
29	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII राजमली 828	180.72
30	धनोरा	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सुरानी 614	106.2
31	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII कामोद 666	160.72
32	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सिरवेल 681	113.04
33	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII चाचरिया 620	208.7
34	—	—	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII धनोरा 692	181.29

35	-/-	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII शिवन्या 678	119.5
36	वरला	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII कोलकी 540	154.32
37	-/-	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII किरसला 512	268.51
38	-/-	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वरला 406	68.75
39	-/-	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वरला 407	35.95
40	-/-	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सोलवन 554	123.42
41	-/-	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII दुगानी 488	124.74
			योग	2843.69
वर्ष 2016-17				
42	धवली	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII धवली 470	195.23
43	-/-	-/-	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII अम्बापानी 479	132.05
44	-/-	-/-	योग	327.28
वर्ष 2016-17				
45	वरला	2016-17	मिश्रीत वृक्षारोपण खुटवाडी 404	35.00
46	-/-	-/-	मिश्रीत वृक्षारोपण महेन्द्रयापानी 546, 551	15.00
47	धनोरा	-/-	मिश्रीत वृक्षारोपण कढाईपानी 614	50.00
			योग	100.00
वर्ष 2016-17				
48	पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण वासन्यापानी 776	50.00
49	-/-	-/-	सागौन वृक्षारोपण मोयदा 802	20.00
50	-/-	-/-	सागौन वृक्षारोपण तलाब 805	30.00
51	धवली	-/-	सागौन वृक्षारोपण खपाडा 458	25.00
52	-/-	-/-	सागौन वृक्षारोपण खोखरी 449	25.00
			योग	150.00
वर्ष 2017-18				
53	वरला	2017-18	आर.डी.एफ. VIII छतरीपडावा 516	112.81
54	पानसेमल	-/-	आर.डी.एफ. VIII भागलअम्बा 736	125.1
55	-/-	-/-	आर.डी.एफ. VIII निलबावडी 745	172.45
56	-/-	-/-	आर.डी.एफ. VIII उमरबेडा 764	166.3
57	-/-	-/-	आर.डी.एफ. VIII वासन्यापानी 776	113.84
58	धनोरा	-/-	आर.डी.एफ. VIII खुरमाबाद 637	157.16
59	-/-	-/-	आर.डी.एफ. VIII भामपुरा 652	171.62
60	धवली	-/-	आर.डी.एफ. VIII खपाडा 461	133.39
61	-/-	-/-	आर.डी.एफ. VIII खोखरअम्बा 423	173.97
			योग	1326.64
वर्ष 2017-18				
62	सेन्धवा	2017-18	उर्जावन VIII गवाडी 809	130.31
63	धनोरा	-/-	उर्जावन VIII कढाईपानी 614	95.27
64	पानसेमल	-/-	उर्जावन VIII मनकुई 830	268.92
65	-/-	-/-	उर्जावन VIII उमरबेडा 760	152.6
66	-/-	-/-	उर्जावन VIII गोदीकांचली 796	173.9
67	वरला	-/-	उर्जावन VIII कोलकी 558	140.49
68	धवली	-/-	उर्जावन VIII अजगरिया 480	91.34
69	-/-	-/-	उर्जावन VIII धावडा 445	91.34
			योग	1144.17
वर्ष 2017-18				
70	पानसेमल	2017-18	केम्पामद कालापाट 706	20.00
71	-/-	-/-	केम्पामद तलाब 806	30.00

72	सेन्धवा	—'—	केम्पामद गवाडी 580	35.00
			योग	85.00
वर्ष 2018–19				
73	वरला	2018–19	IX जुनापानी 495 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	110.01
74	—'—	—'—	IX महेन्द्रयापानी 563 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	134.06
75	—'—	—'—	IX दुगानी 518 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	133.21
76	पानसेमल	—'—	IX देवगढ 737 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	70.65
77	—'—	—'—	IX पन्नाली 755 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	125
78	—'—	—'—	IX पिपलोद 776 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	123.29
79	—'—	—'—	IX झेडियामाल 803 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	165.7
80	—'—	—'—	IX टेमली 745 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	123.05
81	धनोरा	—'—	IX रामकोल्ला 637 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	99.52
82	—'—	—'—	IX मुवास्या 646 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	231.49
83	धवली	—'—	IX खपाडा 454 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	198.66
84	—'—	—'—	IX अजगरिया 466 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	104.06
85	—'—	—'—	IX उमरियापानी 422 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	72.44
86	—'—	—'—	IX अडनदी 434 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	130.28
87	—'—	—'—	IX खोखरी 453 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	80.23
			योग	1901.65
वर्ष 2018–19				
88	सेन्धवा	2018–19	IX राईखेडा 579 उर्जावन	161.82
89	—'—	—'—	IX आंचली 594 उर्जावन	116.46
90	धनोरा	—'—	IX कामोद 667 उर्जावन	149.77
91	—'—	—'—	IX शिवन्या 631 उर्जावन	147.94
92	—'—	—'—	IX धनोरा 690 उर्जावन	154.72
93	—'—	—'—	IX चाचरियापाटी 624 उर्जावन	172.2
94	पानसेमल	—'—	IX मलगांव 761 उर्जावन	154.33
95	—'—	—'—	IX मनकुई 780 उर्जावन	115.33
96	—'—	—'—	IX सुलगांव 796 उर्जावन	115.85
97	—'—	—'—	IX राजमली 810, 821 उर्जावन	236.9
98	वरला	—'—	IX कोलकी 562 उर्जावन	82.77
99	—'—	—'—	IX किरमला 527, 529 उर्जावन	142.73
100	—'—	—'—	IX सोलवन 553 उर्जावन	139.44
101	धवली	—'—	IX अन्बापानी 419 उर्जावन	100.48
102	—'—	—'—	IX धवली 446 उर्जावन	100.48
103	पानसेमल	—'—	तलाब 798 जलाऊ एवं चारागाह	30.00
104	धनोरा	—'—	कढाईपानी 654 जलाऊ एवं चारागाह	20.00
105	वरला	—'—	सोलवन 565 जलाऊ एवं चारागाह	50.00
106	पानसेमल	—'—	शिवनीपडावा 784 मिश्रीत	25.00
107	धनोरा	—'—	धावडा 595 जलाऊ एवं चारागाह	25.00
			योग	2241.22
वर्ष 2019–20				
108	पानसेमल	2019–20	X सांपखडकी 753 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	98.8
109	—'—	—'—	X जामन्यापानी 777 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	139.7
110	—'—	—'—	X करणपुरा 729 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	10.00
111	—'—	—'—	X झेडिया कुंडिया 789 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	206.2
112	धनोरा	—'—	X भामपुरा 650 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	179.43
113	धवली	—'—	X सोनखेडी 418 पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त	10.00
			योग	644.13

वर्ष 2019-20				
114	धनोरा	2019-20	X राजनगांव 629 उजावन	167.87
115	-'-	-'-'	X कडाईपानी 624 उजावन	97.96
116	पानसेमल	-'-'	X गोंदीकांचली 797 उजावन	177.43
117	-'-'	-'-'	X मांडवीपडावा 780 उजावन	154.67
118	-'-'	-'-'	X राजमली 816 उजावन	145.84
119	-'-'	-'-'	X ललवान्या 758 उजावन	262.06
120	धनोरा	-'-'	X मुवास्या 658 उजावन	141.2
			योग	1147.03
वर्ष 2019-20				
121	पानसेमल	2019-20	X मलगांव 748 केम्पामद	51.76
122	-'-'	-'-'	योग	51.76
वर्ष 2020-21				
123	पानसेमल	2020-21	मिश्रित वृक्षारोपण, उमरबेडा 765, कार्यआयोजना का क्रियान्वयन	17.00
124	धनोरा	-'-'	मिश्रित वृक्षारोपण, राजनगांव 627, कार्यआयोजना का क्रियान्वयन	17.00
125	वरला	-'-'	जलाउ एवं चारागाह मिश्रित वृक्षारोपण कोलकी 560 केम्पामद	30.00
126	-'-'	-'-'	जलाउ एवं चारागाह मिश्रित वृक्षारोपण हिंगवा 538 केम्पामद	50.00
127	-'-'	-'-'	जलाउ एवं चारागाह मिश्रित वृक्षारोपण कोलकी 563 केम्पामद	20.00
128	सेंधवा	-'-'	जलाउ एवं चारागाह मिश्रित वृक्षारोपण गवाडी 713 केम्पामद	50.00
			योग	184.00
वर्ष 2021-22				
129	धनोरा	2021-22	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार कडाईपानी 621	50.00
130	-'-'	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार राजनगांव 627	50.00
131	-'-'	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार खुरमाबाद 638	50.00
132	-'-'	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार भासपुरा 650	50.00
133	पानसेमल	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार घानापानी 752	30.00
134	-'-'	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार चुनाभट्टी 756	30.00
135	-'-'	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार उमरबेडा 765	30.00
136	-'-'	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार झोंडिया कुंडिया 789	30.00
137	-'-'	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार चार्लीपीठा 724	30.00
138	धवली	-'-'	कैम्पा एन.पी.व्ही बिंगडे वनो का सुधार जुनापानी 424	50.00
139	पानसेमल	-'-'	करना भड्भडा 767	50.00
			योग	450.00
140	सेंधवा	2021-22	मनरेगा योजनान्तर्गत बांस वृक्षारोपण, वाक्या 604	10.00
141	धनोरा	-'-'	मनरेगा योजनान्तर्गत बांस वृक्षारोपण, धनोरा 707	10.00
142	पानसेमल	-'-'	मनरेगा योजनान्तर्गत बांस वृक्षारोपण, मनकुई 774	10.00
143	धवली	-'-'	मनरेगा योजनान्तर्गत बांस वृक्षारोपण, धवली 413	10.00
144	वरला	-'-'	मनरेगा योजनान्तर्गत बांस वृक्षारोपण, जामठी 498	10.00
			योग	50.00

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि सेंधवा वन मण्डल में निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 1 जुलाई 2022 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे। जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश चराई नियम 1986 के उपनियम 3(1) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

प्रपत्र
वनमण्डल सेंधवा, (सामान्य)

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	आवंटित कक्ष				चराई हेतु वर्जित क्षेत्र		खुले क्षेत्र में पशु इकाई चराई क्षमता
				आर.एफ	रकबा	पी.एफ	रकबा	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सेंधवा	धनोरा	खुरमाबाद	636	237.56	0	0	636	226.04	11.52
2	सेंधवा	धनोरा	—“—	637	256.68	0	0	637	157.16	99.52
3	सेंधवा	धनोरा	किरचाली	706	374.23	0	0	706	20.00	354.23
4	सेंधवा	धनोरा	कढाईपानी	614	201.47	0	0	614	201.47	0.00
5	सेंधवा	धनोरा	कढाईपानी	620	208.70	0	0	620	208.70	0.00
6	सेंधवा	धनोरा	कलेपानी	680	194.35	0	0	680	10.00	184.35
7	सेंधवा	धनोरा	—“—	682	302.10	0	0	682	25.00	277.10
8	सेंधवा	धनोरा	—“—	654	252.34	0	0	654	121.00	131.34
9	सेंधवा	धनोरा	—“—	681	246.47	0	0	681	231.04	15.43
10	सेंधवा	धनोरा	—“—	666	290.09	0	0	666	160.72	129.37
11	सेंधवा	धनोरा	गुडा	615	71.81	0	0	615	71.81	0.00
12	सेंधवा	धनोरा	गुडा	616	163.95	0	0	616	20.00	143.95
13	सेंधवा	धनोरा	किरचाली	608	214.30	0	0	608	25.00	189.30
14	सेंधवा	धनोरा	गुडा	618	228.00	0	0	618	78.00	150.00
15	सेंधवा	धनोरा	मुवास्या	658	243.48	0	0	658	40.00	203.48
16	सेंधवा	धनोरा	—“—	660	296.87	0	0	660	30.00	266.87
17	सेंधवा	धनोरा	राजनगांव	635	237.91	0	0	635	153.00	84.91
18	सेंधवा	धनोरा	—“—	628	217.45	0	0	628	182.94	34.51
19	सेंधवा	धनोरा	—“—	632	165.85	0	0	632	19.00	146.85
20	सेंधवा	धनोरा	—“—	627	229.81	0	0	627	50.00	179.81
21	सेंधवा	धनोरा	—“—	685	133.80	0	0	685	129.00	4.80
22	सेंधवा	धनोरा	भापपुरा	648	206.23	0	0	648	98.00	108.23
23	सेंधवा	धनोरा	—“—	651	274.28	0	0	651	100.00	174.28
24	सेंधवा	धनोरा	—“—	649	18.21	0	0	649	18.21	0.00
25	सेंधवा	धनोरा	—“—	648	206.23	0	0	648	87.00	119.23
26	सेंधवा	धनोरा	कामोद	652	267.75	0	0	652	267.75	0.00
27	सेंधवा	वरला	डोकल्यापानी	494	235.89	0	0	494	45.00	190.89
28	सेंधवा	वरला	गुराडपानी	506	386.41	0	0	506	60.86	325.55
29	सेंधवा	वरला	चिलारिया	515	298.51	0	0	515	70.00	228.51
30	सेंधवा	वरला	डोगल्यापानी	530	118.91	0	0	530	87.80	31.11

31	सेंधवा	वरला	मोहनपडावा	540	282.20	0	0	540	97.88	184.32
32	सेंधवा	वरला	अवंटित नहीं	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
33	सेंधवा	वरला	महानीम	486	242.82	0	0	486	5.05	237.77
34	सेंधवा	वरला	महेन्द्रयापानी	547	210.08	0	0	547	35.00	175.08
35	सेंधवा	वरला	—“—	546	232.79	0	0	546	50.00	182.79
36	सेंधवा	वरला	अम्बावतार	495	229.51	0	0	495	50.00	179.51
37	सेंधवा	वरला	गुराडपानी	505	157.17	0	0	505	60.00	97.17
38	सेंधवा	वरला	—“—	520	277.37	0	0	520	60.00	217.37
39	सेंधवा	वरला	महेन्द्रयापानी	544	167.72	0	0	544	50.00	117.72
40	सेंधवा	वरला	महानीम	486	242.82	0	0	486	50.00	192.82
41	सेंधवा	वरला	किरमला	527	212.08	0	0	527	50.00	162.08
42	सेंधवा	वरला	हिंगवा	405	188.16	0	0	405	50.00	138.16
43	सेंधवा	वरला	कुण्डिया	550	201.78	0	0	550	30.00	171.78
44	सेंधवा	वरला	मोहनपडावा	560	284.41	0	0	560	100.00	184.41
45	सेंधवा	वरला	—“—	535	367.87	0	0	535	1.00	366.87
46	सेंधवा	वरला	जामठी	497	287.43	0	0	497	25.00	262.43
47	सेंधवा	वरला	बडियापानी	542	300.52	0	0	542	50.00	250.52
48	सेंधवा	वरला	भालाबेडी	508	397.60	0	0	508	168.00	229.60
49	सेंधवा	वरला	जामठी	497	287.43	0	0	497	124.00	163.43
50	सेंधवा	वरला	हेलगापानी	555	212.40	0	0	555	200.00	12.40
51	सेंधवा	वरला	गुराडपानी	520	277.37	0	0	520	97.00	180.37
52	सेंधवा	वरला	कोलकी	558	271.55	0	0	558	120.00	151.55
53	सेंधवा	वरला	आवंटित नहीं	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
54	सेंधवा	वरला	अम्बावतार	408	111.47	0	0	408	106.00	5.47
55	सेंधवा	वरला	—“—	409	88.77	0	0	409	78.00	10.77
56	सेंधवा	वरला	मालवन	567	25335.00	0	0	567	130.00	25205.00
57	सेंधवा	वरला	महानीम	488	213.30	0	0	488	212.80	0.50
58	सेंधवा	वरला	मोहनपडावा	539	226.17	0	0	539	3.50	222.67
59	सेंधवा	वरला	हिंगवा	538	344.74	0	0	538	2.50	342.24
60	सेंधवा	वरला	पेढारन्या	403	152.01	0	0	403	50.00	102.01
61	सेंधवा	वरला	भालाबेडी	509	203.79	0	0	509	96.45	107.34
62	सेंधवा	वरला	जामठी	498	327.91	0	0	498	139.45	188.46
63	सेंधवा	वरला	आवंटित नहीं	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
64	सेंधवा	वरला	मोहनपडावा	534	222.02	0	0	534	222.02	0.00
65	सेंधवा	वरला	—“—	540	282.20	0	0	540	154.32	127.88
66	सेंधवा	वरला	आंविट नहीं	0	0.00	0	0	0	268.51	0.00
67	सेंधवा	वरला	हिंगवा	406	68.75	0	0	406	68.75	0.00
68	सेंधवा	वरला	जामठी	407	35.95	0	0	407	35.95	0.00
69	सेंधवा	वरला	आवंटित नहीं	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
70	सेंधवा	वरला	खुटवाडी	404	277.12	0	0	404	35.00	242.12
71	सेंधवा	वरला	महेन्द्रयापानी	546	487.85	0	0	546	15.00	472.85
72	सेंधवा	वरला	छत्रीपडावा	516	214.66	0	0	516	112.18	102.48
73	सेंधवा	वरला	कोलकी	558	271.55	0	0	558	140.50	131.05

74	सेंधवा	वरला	भालवन	566	186.89	0	0	566	5.00	181.89
75	सेंधवा	धवली	धावडा	426	152.90	0	0	426	10.00	142.90
76	सेंधवा	धवली	धावडा	441	290.69	0	0	441	76.95	213.74
77	सेंधवा	धवली	धावडा	443	151.73	0	0	443	73.37	78.36
78	सेंधवा	धवली	धावडा	444	192.95	0	0	444	79.00	113.95
79	सेंधवा	धवली	धावडा	445	377.87	0	0	445	196.00	181.87
80	सेंधवा	धवली	धावडा	455	196.33	0	0	455	140.00	56.33
81	सेंधवा	धवली	अजगरिया	453	202.13	0	0	453	80.23	121.90
82	सेंधवा	धवली	अजगरिया	452	233.30	0	0	452	173.43	59.87
83	सेंधवा	धवली	अजगरिया	457	266.66	0	0	457	138.29	128.37
84	सेंधवा	धवली	अजगरिया	471	230.24	0	0	471	165.00	65.24
85	सेंधवा	धवली	अजगरिया	472	53.50	0	0	472	20.00	33.50
86	सेंधवा	धवली	अजगरिया	473	223.37	0	0	473	140.00	83.37
87	सेंधवा	धवली	अजगरिया	478	269.94	0	0	478	66.00	203.94
88	सेंधवा	धवली	अजगरिया	479	318.16	0	0	479	132.00	186.16
89	सेंधवा	धवली	अजगरिया	480	176.16	0	0	480	155.34	20.82
90	सेंधवा	धवली	खोखरअम्बा	423	179.51	0	0	423	174.00	5.51
91	सेंधवा	धवली	जुनापानी	425	280.66	0	0	425	10.00	270.66
92	सेंधवा	धवली	जुनापानी	424	152.65	0	0	424	50.00	102.65
93	सेंधवा	धवली	जुनापानी	429	186.76	0	0	429	88.60	98.16
94	सेंधवा	धवली	जुनापानी	430	223.13	0	0	430	55.10	168.03
95	सेंधवा	धवली	जुनापानी	431	261.94	0	0	431	193.00	68.94
96	सेंधवा	धवली	जुनापानी	440	192.05	0	0	440	75.00	117.05
97	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	458	216.07	0	0	458	101.00	115.07
98	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	459	135.52	0	0	459	63.70	71.82
99	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	460	233.11	0	0	460	7.00	226.11
100	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	461	224.96	0	0	461	133.39	91.57
101	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	435	122.81	0	0	435	99.90	22.91
102	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	436	180.80	0	0	436	180.80	0.00
103	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	462	242.65	0	0	462	81.00	161.65
104	सेंधवा	धवली	खपाड़ा	464	219.26	0	0	464	192.25	27.01
105	सेंधवा	धवली	मोहनपुरा	422	214.01	0	0	422	127.44	86.57
106	सेंधवा	धवली	चिरमिरिया	419	206.39	0	0	419	100.48	105.91
107	सेंधवा	धवली	बोड़ारीमाल	449	224.25	0	0	449	65.00	159.25
108	सेंधवा	धवली	पन्नाली	413	255.31	0	0	413	17.78	237.53
109	सेंधवा	धवली	खड़ीखोदरी	466	209.30	0	0	466	175.00	34.30
110	सेंधवा	धवली	खड़ीखोदरी	467	261.33	0	0	467	75.00	186.33
111	सेंधवा	धवली	खड़ीखोदरी	468	211.34	0	0	468	55.00	156.34
112	सेंधवा	धवली	खड़ीखोदरी	469	166.74	0	0	469	99.00	67.74
113	सेंधवा	धवली	खड़ीखोदरी	470	195.23	0	0	470	195.00	0.23
114	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	432	229.31	0	0	432	80.00	149.31
115	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	434	275.08	0	0	434	130.28	144.80
116	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	437	207.82	0	0	437	130.00	77.82

117	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	439	311.28	0	0	439	211.00	100.28
118	सेंधवा	धवली	टिकारामफल्या (अजगरिया2)	451	276.61	0	0	451	169.00	107.61
119	सेंधवा	पानसेमल	अलखड	793	248.52	0	0	793	0.00	248.52
120	सेंधवा	पानसेमल	अलखड	814	205.01	0	0	814	0.00	205.01
121	सेंधवा	पानसेमल	मलगांव	742	484.28	0	0	742	7.50	476.78
122	सेंधवा	पानसेमल	मलगांव	748	458.15	0	0	748	7.50	450.65
123	सेंधवा	पानसेमल	करणपुरा	729	379.74	0	0	729	50.00	329.74
124	सेंधवा	पानसेमल	करणपुरा	730	148.55	0	0	730	35.00	113.55
125	सेंधवा	पानसेमल	करणपुरा	741	438.71	0	0	741	70.00	368.71
126	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	784	259.81	0	0	784	0.00	259.81
127	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	785	390.61	0	0	785	0.00	390.61
128	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	841	242.09	0	0	841	0.00	242.09
129	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	842	24.79	0	0	842	0.00	24.79
130	सेंधवा	पानसेमल	कालअंबा	826	106.99	0	0	826	0.00	106.99
131	सेंधवा	पानसेमल	कालअंबा	827	98.84	0	0	827	0.00	98.84
132	सेंधवा	पानसेमल	मांडवी पडावा	779	318.43	0	0	779	0.00	318.43
133	सेंधवा	पानसेमल	मांडवी पडावा	780	309.00	0	0	780	154.33	154.67
134	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	759	313.34	0	0	0	0	313.34
135	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	760	322.87	0	0	760	322.87	0.00
136	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	761	309.56	0	0	761	172.20	137.36
137	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	762	592.72	0	0	762	0.00	592.72
138	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	763	502.63	0	0	763	388.63	114.00
139	सेंधवा	पानसेमल	चार्लीपीठा	724	275.01	0	0	724	0.00	275.01
140	सेंधवा	पानसेमल	चार्लीपीठा	725	287.04	0	0	725	30.00	257.04
141	सेंधवा	पानसेमल	चार्लीपीठा	726	346.72	0	0	726	154.24	192.48
142	सेंधवा	पानसेमल	चार्लीपीठा	727	473.01	0	0	727	300.40	172.61
143	सेंधवा	पानसेमल	सॉपखडकी	751	378.81	0	0	751	209.97	168.84
144	सेंधवा	पानसेमल	सॉपखडकी	753	348.66	0	0	753	189.99	158.67
145	सेंधवा	पानसेमल	सॉपखडकी	757	349.19	0	0	757	0.00	349.19
146	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	728	562.05	0	0	728	397.48	164.57
147	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	731	465.31	0	0	731	0.00	465.31
148	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	733	302.25	0	0	733	0.00	302.25
149	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	734	299.23	0	0	734	238.40	60.83
150	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	735	212.19	0	0	735	159.00	53.19
151	सेंधवा	पानसेमल	आमझीरी	746	290.83	0	0	746	0.00	290.83
152	सेंधवा	पानसेमल	आमझीरी	747	437.82	0	0	747	57.50	380.32
153	सेंधवा	पानसेमल	आमझीरी	749	297.66	0	0	749	245.00	52.66
154	सेंधवा	पानसेमल	खडीखम	791	332.41	0	0	791	59.00	273.41
155	सेंधवा	पानसेमल	खडीखम	792	266.87	0	0	792	0.00	266.87
156	सेंधवा	पानसेमल	खडीखम	794	200.47	0	0	794	148.50	51.97
157	सेंधवा	पानसेमल	भडभडा	767	562.00	0	0	767	0.00	562.00

158	सेंधवा	पानसेमल	भंडभडा	768	232.90	0	0	768	100.37	132.53
159	सेंधवा	पानसेमल	भडभडा	835	129.82	0	0	835	0.00	129.82
160	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	771	185.85	0	0	771	135.00	50.85
161	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	772	489.29	0	0	772	0.00	489.29
162	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	774	238.65	0	0	774	217.79	20.86
163	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	830	268.92	0	0	830	268.92	0.00
164	सेंधवा	पानसेमल	मोहल्यापानी	773	336.44	0	0	773	186.00	150.44
165	सेंधवा	पानसेमल	मोहल्यापानी	827	121.90	0	0	827	0.00	121.90
166	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	786	561.51	0	0	786	340.20	221.31
167	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	787	128.52	0	0	787	70.00	58.52
168	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	790	204.43	0	0	790	0.00	204.43
169	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	802	229.9	0	0	802	125.89	104.01
170	सेंधवा	पानसेमल	वासन्यापानी	775	539.6	0	0	775	539.60	0.00
171	सेंधवा	पानसेमल	वासन्यापानी	834	49.15	0	0	834	0.00	49.15
172	सेंधवा	पानसेमल	वासन्यापानी	845	82.14	0	0	845	0.00	82.14
173	सेंधवा	पानसेमल	बंधाराखुर्द	776	237.14	0	0	776	237.14	0.00
174	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	798	160.96	0	0	798	0.00	160.96
175	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	801	245.6	0	0	801	145.00	100.60
176	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	803	305.79	0	0	803	165.70	140.09
177	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	804	296.31	0	0	804	0.00	296.31
178	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	805	272.78	0	0	805	50.00	222.78
179	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	806	233.1	0	0	806	179.16	53.94
180	सेंधवा	पानसेमल	जामन्या	807	117.50	0	0	807	0.00	117.50
181	सेंधवा	पानसेमल	जामन्या	846	54.94	0	0	846	0.00	54.94
182	सेंधवा	पानसेमल	जामन्या	822	74.09	0	0	822	0.00	74.09
183	सेंधवा	पानसेमल	जामन्या	839	21.79	0	0	839	0.00	21.79
184	सेंधवा	पानसेमल	जामन्या	847	143.88	0	0	847	0.00	143.88
185	सेंधवा	पानसेमल	घोडल्यापानी	823	21.35	0	0	823	0.00	21.35
186	सेंधवा	पानसेमल	घोडल्यापानी	824	2.33	0	0	824	0.00	2.33
187	सेंधवा	पानसेमल	घोडल्यापानी	817	409.63	0	0	817	0.00	409.63
188	सेंधवा	पानसेमल	घोडल्यापानी	836	226.56	0	0	836	0.00	226.56
189	सेंधवा	पानसेमल	घोडल्यापानी	816	145.84	0	0	816	25.00	120.84
190	सेंधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	795	291.63	0	0	795	238.65	52.98
191	सेंधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	796	289.74	0	0	796	289.74	0.00
192	सेंधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	797	177.43	0	0	797	50.00	127.43
193	सेंधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	799	245.96	0	0	799	119.41	126.55
194	सेंधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	800	177.18	0	0	800	118.74	58.44
195	सेंधवा	पानसेमल	जामन्यापानी	777	238.81	0	0	777	50.00	188.81
196	सेंधवा	पानसेमल	जामन्यापानी	778	214.28	0	0	778	30.00	184.28
197	सेंधवा	पानसेमल	ललवान्या	758	262.06	0	0	758	0.00	262.06
198	सेंधवा	पानसेमल	ललवान्या	840	97.82	0	0	840	0.00	97.82
199	सेंधवा	पानसेमल	कामठीनाला	721	240.46	0	0	721	0.00	240.46
200	सेंधवा	पानसेमल	कामठीनाला	722	238.10	0	0	722	0.00	238.10
201	सेंधवा	पानसेमल	कामठीनाला	723	346.73	0	0	723	0.00	346.73

202	सेंधवा	पानसेमल	चुनाभट्टी	755	416.33	0	0	755	271.10	145.23
203	सेंधवा	पानसेमल	चुनाभट्टी	756	268.45	0	0	756	0.00	268.45
204	सेंधवा	पानसेमल	एकलअंबा	738	325.89	0	0	738	0.00	325.89
205	सेंधवा	पानसेमल	एकलअंबा	739	323.32	0	0	739	0.00	323.32
206	सेंधवा	पानसेमल	एकलअंबा	740	388.39	0	0	740	7.50	380.89
207	सेंधवा	पानसेमल	भागलअंबा	720	365.93	0	0	720	167.73	198.20
208	सेंधवा	पानसेमल	भागलअंबा	732	255.64	0	0	732	0.00	255.64
209	सेंधवा	पानसेमल	भागलअंबा	736	220.49	0	0	736	220.49	0.00
210	सेंधवा	पानसेमल	भागलअंबा	737	231.84	0	0	737	150.65	81.19
211	सेंधवा	पानसेमल	घानापानी	754	249.67	0	0	754	110.00	139.67
212	सेंधवा	पानसेमल	निलबावडी	743	365.81	0	0	743	314.04	51.77
213	सेंधवा	पानसेमल	निलबावडी	744	421.78	0	0	744	310.84	110.94
214	सेंधवा	पानसेमल	निलबावडी	745	295.5	0	0	745	295.50	0.00
215	सेंधवा	पानसेमल	कुंजरवाडा	769	340.37	0	0	769	0.00	340.37
216	सेंधवा	पानसेमल	कुंजरवाडा	770	391.60	0	0	770	172.89	218.71
217	सेंधवा	पानसेमल	गवाली	809	289.48	0	0	809	60.00	229.48
218	सेंधवा	पानसेमल	गवाली	821	119.29	0	0	821	0.00	119.29
219	सेंधवा	पानसेमल	गवाली	828	180.72	0	0	828	180.72	0.00
220	सेंधवा	पानसेमल	झरीमाता	811	282.11	0	0	811	0.00	282.11
221	सेंधवा	पानसेमल	झरीमाता	812	99.87	0	0	812	75.00	24.87
222	सेंधवा	पानसेमल	झरीमाता	837	31.46	0	0	837	0.00	31.46
223	सेंधवा	पानसेमल	झरीमाता	838	158.32	0	0	838	0.00	158.32
224	सेंधवा	पानसेमल	मोगरापानी	717	352.78	0	0	717	0.00	352.78
225	सेंधवा	पानसेमल	मोगरापानी	718	297.98	0	0	718	161.79	136.19
226	सेंधवा	पानसेमल	मोगरापानी	719	240.98	0	0	719	155.60	85.38
227	सेंधवा	पानसेमल	खडकीवन	810	117.61	0	0	810	117.61	0.00
228	सेंधवा	पानसेमल	खडकीवन	818	262.11	0	0	818	0.00	262.11
229	सेंधवा	पानसेमल	उमरबेडा	764	316.59	0	0	764	166.30	150.29
230	सेंधवा	पानसेमल	उमरबेडा	765	315.47	0	0	765	0.00	315.47
231	सेंधवा	पानसेमल	उमरबेडा	766	312.37	0	0	766	0.00	312.37
232	सेंधवा	पानसेमल	झेण्डियाकुंडिया	788	410.40	0	0	788	181.39	229.01
233	सेंधवा	पानसेमल	झेण्डियाकुंडिया	789	454.38	0	0	789	0.00	454.38
234	सेंधवा	सेंधवा	लवाणी	715	211.47	0	0	715	97.74	113.73
235	सेंधवा	सेंधवा	उमरियापानी	572	231.49	0	0	572	0.00	231.49
236	सेंधवा	सेंधवा	उमरियापानी	573	247.28	0	0	573	191.00	56.28
237	सेंधवा	सेंधवा	उमरियापानी	574	161.17	0	0	574	0.00	161.17
238	सेंधवा	सेंधवा	उमरियापानी	575	196.11	0	0	575	196.11	0.00
239	सेंधवा	सेंधवा	भवरगढ	569	217.32	0	0	569	70.00	147.32
240	सेंधवा	सेंधवा	भवरगढ	583	56.33	0	0	583	0.00	56.33
241	सेंधवा	सेंधवा	भवरगढ	584	85.68	0	0	584	0.00	85.68
242	सेंधवा	सेंधवा	भवरगढ	585	157.48	0	0	585	30.00	127.48
243	सेंधवा	सेंधवा	गोहरतमाल	570	154.36	0	0	570	0.00	154.36
244	सेंधवा	सेंधवा	मोहरतमाल	571	146.04	0	0	571	146.04	0.00

245	सेंधवा	सेंधवा	खड़कया	712	186.31	0	0	712	139.90	46.41
246	सेंधवा	सेंधवा	खड़कया	713	222.17	0	0	713	142.74	79.43
247	सेंधवा	सेंधवा	खड़कया	714	218.31	0	0	714	0.00	218.31
248	सेंधवा	सेंधवा	गवाड़ी	580	159.68	0	0	580	136.00	23.68
249	सेंधवा	सेंधवा	गवाड़ी	581	514.68	0	0	581	0.00	514.68
250	सेंधवा	सेंधवा	गवाड़ी	582	78.45	0	0	582	0.00	78.45
251	सेंधवा	सेंधवा	भुरापानी	576	125.69	0	0	576	17.60	108.09
252	सेंधवा	सेंधवा	भुरापानी	577	282.83	0	0	577	282.63	0.20
253	सेंधवा	सेंधवा	भुरापानी	578	228.10	0	0	578	0.00	228.10
254	सेंधवा	सेंधवा	भुरापानी	579	161.82	0	0	579	50.00	111.82
255	सेंधवा	सेंधवा	कुसमी	697	206.62	0	0	697	30.00	176.62
256	सेंधवा	सेंधवा	कुसमी	698	329.05	0	0	698	0.00	329.05
257	सेंधवा	सेंधवा	कुसमी	699	191.00	0	0	699	30.00	161.00
258	सेंधवा	सेंधवा	कुसमी	703	374.52	0	0	703	0.00	374.52
259	सेंधवा	सेंधवा	बघाड	701	165.77	0	0	701	69.16	96.61
260	सेंधवा	सेंधवा	बघाड	702	164.97	0	0	702	0.00	164.97
261	सेंधवा	सेंधवा	बघाड	704	354.65	0	0	704	0.00	354.65
262	सेंधवा	सेंधवा	बघाड	705	298.72	0	0	705	0.00	298.72
263	सेंधवा	सेंधवा	सालीकला	716	282.30	0	0	216	125.00	157.30
264	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	594	227.10	0	0	594	116.46	110.64
265	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	596	158.08	0	0	596	151.80	6.28
266	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	597	228.30	0	0	597	228.30	0.00
267	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	598	2236.93	0	0	598	40.00	2196.93
268	सेंधवा	सेंधवा	झिरपन	600	277.29	0	0	600	0.00	277.29
269	सेंधवा	सेंधवा	झिरपन	595	229.03	0	0	595	70.00	159.03
270	सेंधवा	सेंधवा	गुलरियापानी	601	140.75	0	0	601	0.00	140.75
271	सेंधवा	सेंधवा	गुलरियापानी	602	166.23	0	0	602	0.00	166.23
272	सेंधवा	सेंधवा	वाक्या	599	201.37	0	0	599	116.58	84.79
273	सेंधवा	सेंधवा	वाक्या	604	282.29	0	0	604	0.00	282.29
274	सेंधवा	सेंधवा	वाक्या	605	221.95	0	0	604	0.00	221.95
275	सेंधवा	सेंधवा	उमरी	606	194.65	0	0	606	81.60	113.05
276	सेंधवा	सेंधवा	नांदिया	589	5202.19	0	0	589	0.00	5202.19
277	सेंधवा	सेंधवा	नांदिया	590	154.55	0	0	590	0.00	154.55
278	सेंधवा	सेंधवा	नांदिया	591	133.59	0	0	591	0.00	133.59
279	सेंधवा	सेंधवा	नांदिया	592	222.15	0	0	592	25.00	197.15
280	सेंधवा	सेंधवा	नांदिया	593	345.69	0	0	593	0.00	345.69
281	सेंधवा	सेंधवा	बख्तारिया	586	175.16	0	0	586	20.00	155.16
282	सेंधवा	सेंधवा	बख्तारिया	587	129.97	0	0	587	0.00	129.97
283	सेंधवा	सेंधवा	बख्तारिया	588	270.51	0	0	588	0.00	270.51

अनुपम शर्मा मा.व.से., वनमंडलाधिकारी.

(G-2121)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसंबर 2022—अग्रहायण 11, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)